



सत्यमेव जयते

Government of India

CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT (RECEIPTS AND PAYMENTS) RULES, 2022

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Controller General of Accounts
Mahalekha Niyantarak Bhawan
E-Block, GPO Complex, INA
New Delhi-110 023**

PREFACE

The Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 2022 (RPR,2022) is the revised and updated rules in place of RPR, 1983. RPR, 2022 contain rules regulating the custody of the Consolidated Fund of India and the Contingency Fund of India, the payment of moneys into such funds, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of public moneys other than those credited to such funds received by or on behalf of the Government of India, their payment into the Public Account of India and the withdrawal of moneys from such Account and all other matters connected therewith or ancillary thereto. These rules shall apply to all transactions pertaining to the Central Government Ministries and Departments including Railways, Defence, Posts, Telecommunications and Union Territories without Legislature.

2. As per the Allocation of Business Rules, the Ministry of Finance, Department of Expenditure, through the Controller General of Accounts has been given the responsibility of administration of Treasury Rules of the Central Government and Central Government Account (Receipts and Payments) Rules. In order to achieve the goal of 100% digitization in Government processes and enhancing the ease of doing business in an end-to-end electronic processing of Government receipts, payments and its accounting in the Central Government, the rules have been revised to enable the electronic processes and changes taken place in the past. As there are several detailed procedures relating to receipts and payments that were included in the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983, the Forms and Procedures part have been compiled separately and the rules have been prescribed in two parts (i) *Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 2022* and (ii) *Subsidiary Instructions to Central Government Account(Receipts and Payments) Rules, 2022 (Detailed procedures and Forms)* in place of Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983 and Treasury Rules of the Central Government (*relevant Pension Rules*). Separation of Formats and Procedures from the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules will facilitate future changes/ modification smoothly at appropriate levels.


3. The Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 2022 and Subsidiary Instructions to these Rules have been framed after obtaining the advice/suggestions from O/o Comptroller and Auditor General of India and Central Ministries/Departments including M/o Railways, Defence, Posts and Telecommunications.

4. The Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 2022 and Subsidiary Instructions to Rules are an attempt to provide easy guidance for the managerial and supervisory staff and above all to the employees dealing with the receipts and payments and related matters. The efforts have been to draft the revised rules and Subsidiary instructions in the form of a simple and usable document and as far as possible, to comprehensively outline the procedures and practices in vogue including the detailed process and the mechanism involved in its operation.

5. The Subsidiary Instructions brings out the entire chain of receipts and payments process right from the submission of claims. All the related formats of claims and bills have been dealt with in a sequential manner. The instructions also bring out the process of payments and accounts related security features in the light of introduction of e-claim and e-bill through Public Financial Management System (PFMS).

6. The Subsidiary Instructions to Rules also includes an Appendix containing the concordance table of the provisions in the rules corresponding to the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983 for easy reference.

7. The Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 2022 and Subsidiary Instructions to Rules will enable an improved, efficient and effective framework of Government receipts, payments and its accounting in Central Government.



(Sonali Singh)

Controller General of Accounts

New Delhi

Dated: 26.08.2022

PREAMBLE

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 283 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the custody of the Consolidated Fund of India and the Contingency Fund of India, the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of public moneys other than those credited to such Funds received by or on behalf of the Government of India, their payment into the Public Account of India and the withdrawal of moneys from such Account and other matters connected therewith or ancillary thereto, namely - Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 2022.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082022-238234
CG-DL-E-20082022-238234

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569]
No. 569]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 20, 2022/श्रावण 29, 1944
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 20, 2022/SHRAVANA 29, 1944

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(लेखा महानियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 644(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार खाता (प्राप्ति और संदाय) नियम, 1983 तथा केंद्रीय सरकार खजाना नियम को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत की संचित निधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि, ऐसी निधियों पर धन के संदाय, उनसे धन निकालने, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त ऐसी निधियों में जमा किए गए धन से भिन्न लोक धन की अभिरक्षा, भारत के लोक लेखे में उसके संदाय और ऐसे लेखे से धन के निकालने और उससे संबंधित अन्य विषयों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सरकार खाता (प्राप्ति और संदाय) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये रक्षा, डाक, दूरसंचार, रेल, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली और विधान-मंडल के बिना संघ राज्यक्षेत्रों सहित केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों से संबंधित सभी संव्यवहारों पर लागू होंगे।

टिप्पण—ये नियम, केंद्रीय सरकार खाता परिचालन के विस्तार तक राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) किसी मंत्रालय या विभाग या विधान-मंडल के बिना संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "प्रत्यायित बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 के अधीन रिजर्व बैंक या उसका अभिकर्ता अभिप्रेत है जिसे लेखा महानियंत्रक के अनुमोदन से उस मंत्रालय या विभाग या विधान-मंडल के बिना संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित सरकार के कार्य संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है ;

(ख) "सरकारी खाते में प्राप्तियों की प्राधिकृत रीति" से इलेक्ट्रॉनिक रीति (अर्थात् इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण का प्रयोग करना या ऐसे अन्य प्ररूप में, जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हो) या चैक या डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर या मनी आर्डर या रोकड़ (अर्थात् सिक्के या नोट में) या ऐसे अन्य प्ररूप में, जो समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, अभिप्रेत है ;

(ग) "सरकारी खाते से संदायों की प्राधिकृत रीति" से संदाय की सूचना या चैक या डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर या मनी आर्डर या रोकड़ (अर्थात् सिक्के या नोट में) या ऐसे अन्य प्ररूप में, जो समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, अभिप्रेत है ;

(घ) "प्राधिकृत विभागीय विनियम" से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से सरकार के विभागों द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(ङ) "बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के उपबंधों के अनुसार रिजर्व बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाली भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा या उस अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उसके अभिकर्ता के रूप में रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है ;

(च) "बैंक खाता" से सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग के किसी प्रत्यायित बैंक में वेतन और लेखा अधिकारी या विभागीय अधिकारी द्वारा पोषित कोई खाता (आहरण, समनुदेशन, इत्यादि) अभिप्रेत है ;

(छ) "बिल" से आहरण अधिकारी द्वारा दावे का कोई ऐसा कथन अभिप्रेत है, जो संदाय के लिए दावे की प्रकृति और रकम के विनिर्देश को अंतर्विष्ट करते हुए सरकार के विरुद्ध मंत्रालयों या विभागों के पीएओ या डीडीओ द्वारा प्रयुक्त अभिहित इलेक्ट्रॉनिक संदाय प्लेटफार्म के माध्यम से या तो भौतिक प्ररूप में हस्ताक्षरित है या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप (ई-बिल) में अंकीय रूप से हस्ताक्षरित है ;

(ज) "केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ)" से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों (रेल, डाक और रक्षा के सिवाय) के निवृत्त कर्मचारी, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली, विधान-मंडल के बिना संघ राज्यक्षेत्र, पूर्व संसद-सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति की पेंशन और अन्य सुख-सुविधाएं, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन आने वाले पेंशनभोगियों को पेंशन और कुटुंब पेंशन तथा "प्राधिकृत बैंकों द्वारा केंद्रीय सरकार सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन के संदाय की स्कीम" का प्रशासन करने के लिए न्यस्त उत्तरदायित्व के संबंध में प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से पेंशन के संदाय और लेखा के लिए दायी लेखा महानियंत्रक संगठन के अधीन कोई संलग्न कार्यालय अभिप्रेत है ;

(झ) "केंद्रीय खजाना" से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई खजाना या उप-खजाना तथा विधान-मंडल के बिना संघ राज्यक्षेत्रों के खजाना सम्मिलित हैं जो किसी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन खजाना या उप-खजाना से भिन्न है ;

टिप्पण : केंद्रीय खजाना, संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ में प्रचालन में है, जिसका रोकड़ कारबार बैंक द्वारा संचालित होता है ;

(ञ) "चालान" से ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है, जो संव्यवहारों की प्राप्ति के लिए लेखा के प्रयोजन हेतु रखे गए हैं, जो किसी व्यक्ति की विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त या तो भौतिक प्ररूप में हस्ताक्षरित है या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप (ई-चालान) में अंकीय रूप से हस्ताक्षरित है, जो सरकार, लेखा शीर्ष, इत्यादि को रकम भेजते हैं ;

- (ट) “चैक आहरण और संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ)” से किसी मंत्रालय या विभाग (जिसके अंतर्गत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और वे विभाग हैं जिनमें केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के उपबंधों का पालन किया जाना प्राधिकृत है) या विधान-मंडल के बिना किसी संघ राज्यक्षेत्र के अधीन कृत्य करने वाला आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) अभिप्रेत है, जिसे किसी प्रत्यायित बैंक की विनिर्दिष्ट शाखा में चैक आहरण और संवितरण अधिकारी के पक्ष में खोले गए किसी समनुदेशित खाते में संबंधित पीएओ द्वारा जारी किया गया किसी समनुदेशित के विरुद्ध संदायों के विनिर्दिष्ट प्रकारों के लिए धन निकाले जाने हेतु प्राधिकृत है ;
- (ठ) “दावा” से किसी दावाकर्ता (सरकारी सेवक या माल और सेवाओं का प्रदायकर्ता) द्वारा दावे का कोई कथन अभिप्रेत है, जो संदाय के लिए दावे की प्रकृति और रकम के विनिर्देश को अंतर्विष्ट करते हुए सरकार के विरुद्ध मंत्रालयों या विभागों के पीएओ या डीडीओ द्वारा प्रयुक्त अभिहित इलेक्ट्रानिक संदाय प्लेटफार्म के माध्यम से सरकार द्वारा मान्तयाप्राप्त या तो भौतिक प्ररूप में हस्ताक्षरित है या इलेक्ट्रानिक प्ररूप (ई-दावा) में अंकीय रूप से हस्ताक्षरित है या किसी अन्य प्ररूप में है ;
- (ड) “सक्षम प्राधिकारी” से सरकार या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे वह सरकार सुसंगत शक्ति प्रत्यायोजित करे ;
- (ढ) “नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी)” से संविधान के अनुच्छेद 148 के अधीन नियुक्त भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक अभिप्रेत है ;
- (ण) “संचित निधि” से संविधान के अनुच्छेद 266 के खंड (1) में यथा-विनिर्दिष्ट भारत की संचित निधि अभिप्रेत है ;
- (त) “आकस्मिकता निधि” से भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (1950 का 49) के अधीन स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि अभिप्रेत है ;
- (थ) “लेखा महानियंत्रक (सीजीए)” से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का वह लेखा महानियंत्रक अभिप्रेत है जो विभागीय लेखा कार्यालयों में तकनीकी रूप से अच्छे संदाय-सह-लेखा कर्म पद्धति स्थापित करने और बनाए रखने तथा सरकारी खाते की अभिरक्षा उसमें धन का संदाय करने और उससे धन निकालने के विनियमन के लिए नियम विनिर्दिष्ट करने के लिए उत्तरदायी है और सरकार को खाते संबंधी मामलों में मुख्य सलाहकार रूप में भी उत्तरदायी है तथा राजकोष नियंत्रण, आंतरिक लेखापरीक्षा और तकनीकी रूप से अच्छे प्रबंध लेखा पद्धति के लिए उत्तरदायी है ;
- (द) “विभागीय अधिकारी” से सरकार का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो सरकारी धन को संभालने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;
- (ध) “आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ)” से सरकार की ओर से बिल का आहरण और संदाय करने के लिए कार्यालय का प्रधान और सरकार के किसी विभाग द्वारा इस प्रकार पदाभिहित किया गया कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी, विभागाध्यक्ष या कोई प्रशासक भी अभिप्रेत है ;
- (न) “सरकार” से केंद्रीय सरकार और विधान-मंडल के बिना संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;
- (प) “सरकारी खाता” से संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित खाता अभिप्रेत है ;
- (फ) “लेखा संगठन का प्रमुख” से खाते के विभागीकरण की स्कीम के अधीन मंत्रालय या विभाग के लेखा संगठन के प्रमुख के रूप में कार्य करने वाला संगठित लेखा सेवा का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ब) “वेतन और लेखा अधिकारी (पीएओ)” से खाते के विभागीकरण की स्कीम के अधीन कार्य करने वाला किसी मंत्रालय या विभाग या विधान-मंडल के बिना संघ राज्यक्षेत्र के लेखा संगठन का कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो प्राप्तियों, संदायों के लिए उत्तरदायी है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बैंक समन्वय खजाना एकल खाता (टीएसए) प्रणाली, आंतरिक लेखापरीक्षा और सरकार द्वारा यथा अभिहित किसी कार्यालय या विभाग या मंत्रालय का लेखा कर्म भी है ;
- (भ) “संदाय की सूचना” से पाने वाले के विनिर्दिष्ट बैंक खाते में कोई विनिर्दिष्ट रकम या तो इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रिजर्व बैंक को जारी किए गए या प्राधिकृत रीति के माध्यम से प्रत्यक्ष जमा के लिए प्रत्यायित बैंक को दिए गए अनुदेश अभिप्रेत हैं ;

(म) “संदाय सूची” से रिजर्व बैंक के सरकारी खाते से किसी मंत्रालय या विभाग के बैंक द्वारा दावाकृत संदाय को सरकार द्वारा यथा मान्यताप्राप्त या तो भौतिक प्ररूप में हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक प्ररूप (ई-संदाय सूची) सहित किसी अन्य प्ररूप में का कोई कथन अभिप्रेत है ;

(य) “प्रधान लेखा अधिकारी” से खाते के विभागीकरण की स्कीम के अधीन कार्य करने वाले किसी मंत्रालय या विभाग या विधान-मंडल के बिना संघ राज्यक्षेत्र के लेखा संगठन का कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो उसके लेखा क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले किसी मंत्रालय या विभाग के सभी वेतन और लेखा अधिकारी की प्राप्ति, संदायों, आंतरिक लेखापरीक्षा और लेखा कृत्यों के प्रशासन और समन्वय के लिए दायी है ;

(कक) “लोक लेखा” से संविधान के अनुच्छेद 266 के खंड (2) में निर्दिष्ट भारत का लोक लेखा अभिप्रेत है ;

(कख) “व्यक्तिगत जमा लेखा” एक ऐसा लेखा है जिसको केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों और विभागों में महालेखा नियंत्रक के अनुमोदन से और रेल, डाक और रक्षा मंत्रालयों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, किसी प्रत्ययित बैंक में सरकारी लेखा के लोक लेखा भाग में खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो पदाविहित अधिकारी को उसमें प्राप्ति का और पदाविहित अधिकारी तथा बैंक द्वारा भी समग्र जांच का निर्वहन करने के अध्यक्षीन उसमें प्राप्ति को जमा करने या प्रत्यक्ष प्रत्याहरण को प्रभावी करने के लिए अभिहित अधिकारी को सुकर बनाने के लिए आशयित हैं ;

(कग) “लोक ऋण” से आंतरिक और बाहरी स्रोतों से सरकार द्वारा लिया गया आधार अभिप्रेत है ;

(कघ) “प्राप्ति सूची” से रिजर्व बैंक के सरकारी खाते से किसी मंत्रालय या विभाग के प्रत्यायित बैंक या अभिकर्ता बैंक द्वारा प्राप्त की गई और भेजी गई प्राप्ति को सरकार द्वारा यथा मान्यताप्राप्त या तो भौतिक प्ररूप में हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक प्ररूप (ई-प्राप्ति सूची) सहित किसी अन्य प्ररूप में का कोई कथन अभिप्रेत है ;

(कड) “रिजर्व बैंक” से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अधीन गठित रिजर्व बैंक के बैंककारी विभाग का कोई कार्यालय या शाखा अभिप्रेत है ;

(कच) “सहायक अनुदेश” से प्राप्ति और संदाय की विस्तृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत सचिव, व्यय विभाग के अनुमोदन से महालेखानियंत्रक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समय-समय पर यथासंशोधित प्ररूप सम्मिलित हैं ;

(कछ) “निकासी” से सरकार के लिए या उसके निमित्त संवितरण के लिए सरकारी लेखा से निधियों की निकासी अभिप्रेत है ;

(कज) वेतन के संवितरण के प्रयोजन के लिए “कार्यदिवस” से ऐसा दिन अभिप्रेत है जिसको सरकारी कार्यालय और बैंक दोनों अपने संबंधित सामान्य कारबार का संव्यवहार करने के लिए खुले रहते हैं ।

3. सरकारी खाते में जमा की गई धनराशि की अवस्थिति— अन्यथा उपबंधित के सिवाय सरकारी खाते के जमा की गई धनराशि या तो,-

(क) रिजर्व बैंक ; या

(ख) सरकारी कारबार का संव्यवहार करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए किसी बैंक में रखी जाएगी ।

4. सरकारी शोध्यों और कर प्राप्ति का संदाय— सरकार को शोध्य धनराशि को जनसाधारण द्वारा प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकृत रीति के माध्यम से सीधे प्राधिकृत बैंक में और सहायक अनुदेशों में विनिर्दिष्ट चालान प्ररूप में जमा किया जा सकेगा ।

5. सरकार द्वारा राजस्व आदि की स्वीकृति— (1) सरकारी राजस्व, शोध्य या सरकारी लेखा में प्राप्य अन्य सरकारी धनराशियोंको साधारणतया प्राधिकृत रीति के माध्यम से पीएओ द्वारा या विभागीय विनियमों के अनुसार प्राधिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा या प्राधिकृत बैंक द्वारा प्राप्त किया जाएगा ।

परन्तु सरकारी देय, जो देय तारीख पर देय है, वांछा करने वाला व्यक्ति इलेक्ट्रानिक रीति या बैंक या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि ऑनलाइन भुगतान या बैंक या मांगदेय ड्राफ्ट देय तारीख से तुरंत पहले बैंक या संबंधित विभागीय अधिकारी तक पहुंचा है ताकि रकम देय तारीख पर सरकारी खाते में प्रत्यय की जा सके ।

परन्तु यह और कि धनीय सीमा से अधिक की सभी प्राप्तियां इलैक्ट्रॉनिक रीति से केवल (ई-रीति), जो महालेखा नियंत्रक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, के माध्यम से सरकारी खाते में प्रेषित की जाएगी ;

परन्तु यह और कि ई-रीति के माध्यम से धन को जमा करने के लिए और संबंधित प्रभाग या विभाग द्वारा सुनिश्चित करने या दूरवर्ती क्षेत्रों में जहां ई-रीति कार्य नहीं कर रही है, तकनीकी खामियों या सर्वर से संबंधित मुद्दों के मामले में धनीय सीमा को विचार में लाए बिना सभी प्राप्तियां सरकारी खाते में प्राप्त करने के लिए अन्य प्राधिकृत रीति द्वारा जमा की जाएगी ।

(2) जब तक नगद में उच्चतर रकम को प्राप्त करने के लिए विशेषतः कोई प्राधिकृत नहीं है, तब तक विभागीय अधिकारी या बैंक प्रत्येक मामले में समय-समय पर सरकार द्वारा नियत की गई सीमा से अनधिक तक कोई रकम नगद में प्राप्त करेगा ।

(3) कोई सरकारी कार्यालय मिशन या पोस्ट सहित किसी दूसरे देश में स्थित है, तो सरकारी धन विदेशी मुद्रा में या तो नगद में या किसी अन्य रीति से जो संबंधित विदेशी राज्य द्वारा मान्यताप्राप्त किया गया है, प्राप्त करेगा ।

(4) कोई सरकारी कार्यालय मिशन या पोस्ट सहित विदेश में स्थित है, तो सरकार द्वारा विशेष सिफारिश पर राज्य सरकारें, गैर-सरकारी संगठन, स्वशासी निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम निजी निकाय और शैक्षणिक संस्थाएं आदि या तो नगद में या किसी अन्य रीति द्वारा जो संबंधित विदेशी राज्य द्वारा मान्यताप्राप्त हो, की ओर से विदेशी मुद्रा में धन ग्रहण करेगा और उसे भारत में संबंधित राज्य सरकार या संगठन को यथास्थिति, नगद निपटान या बही समायोजन के माध्यम से विदेशी मुद्रा में धन ग्रहण करेगा, परन्तु कोई हानि इन बाहरी अभिकरणों को दी गई सेवाओं में सरकार को उपगत नहीं होती है ।

(5) इन नियमों में विनिर्दिष्ट साधारण प्रक्रिया के अध्याधीन सरकार के किसी भी विभाग में सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया और सरकारी राजस्व या देयों के कारण धन प्राप्त करने के लिए बैंकों द्वारा, उसकी वसूली और धन के लिए प्राप्तियां प्रदान करना, वसूल करना और उन्हें सरकारी खातों में लाना, सहायक अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा ।

6. सरकार के राजस्व, प्राप्तियों और देयों को जमा करना.--- (1) सरकारी खाते में सरकार के राजस्व, प्राप्तियों और देयों को जमा करना निम्नलिखित के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा,-

(क) अधिकारी :

(i) राजस्व, जमा, विप्रेषणादेशों, देय या अन्य के कारण विभागीय अधिकारी द्वारा ग्रहण की गई या सरकार को दी गई गई सभी धनराशियां, सरकारी खाते में सम्मिलित करने के लिए बिना किसी देरी के प्रत्यायित बैंक में जमा की जाएगी ।

(ii) यथास्थिति, पीएओ या प्रधान लेखा अधिकारी से परामर्श करके खाते के सही शीर्ष को उपदर्शित करते हुए, ऐसी धनराशि की जमा को सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व है ।

(iii) यथापूर्वोक्त ग्रहण की गई धनराशि मद (iv) में यथा-प्राधिकृत के सिवाय न तो विभागीय व्यय को चुकाने के लिए उपयोग की जाएगी, न ही सरकार के खाते से अन्यथा अलग रखी जाएगी ।

(iv) खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट मामलों में विभागीय व्यय के लिए विभागीय प्राप्तियों का प्रत्येक उपयोग महालेखा नियंत्रक के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा ;

परन्तु यथापूर्वोक्त धन का उपयोग करने के लिए दिए गए प्राधिकार का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, संचित निधि या लोक लेखा में संदायों के और उनसे निकासियों के खाते से बाहर, उनसे हुई विभागीय प्राप्तियों तथा उनसे चुकाए गए व्ययों को रखने का प्राधिकार है ।

(ख) बैंक :

सरकारी राजस्व, प्राप्तियों या किसी विभाग के देयों की प्राप्ति पर बैंक तुरंत रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित विभाग के लेखा संगठन के प्रमुख और महालेखा नियंत्रक के परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा धारित सरकारी खाते में उनका प्रत्यय करेगा।

7. सरकारी धन की सुरक्षित अभिरक्षा.— (1) बैंक, बैंक में जमा किए गए सरकारी धन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) सरकारी अधिकारियों या प्राधिकृत अधिकारियों के पास धृत धन या नकद या विभागीय खजानों या सरकारी खाते में जमा धन की अभिरक्षा सहायक निदेशों में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार विनियमित की जाएगी।

8. चालान की प्रस्तुति.— (1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय या जब तक कि किसी विशेष संव्यवहार के वर्ग के संदर्भ में सरकार निदेश न दे, कोई व्यक्ति या पक्षकार, जो नियम 5 के अधीन बैंक में सरकारी खाते में धन का संदाय कर रहा है, चालान प्रस्तुत करेगा।

(2) सिवाय तब जब चालान प्ररूपों, चालान के मुद्रित प्ररूपों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा कोई अन्य व्यवस्था प्राधिकृत नहीं की गई है, अधिमानत द्विभाषी रूप में विभागीय अधिकारी या बैंक द्वारा निःशुल्क पूर्ति की जाएगी।

टिप्पण : प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित प्राप्तियां करदाता द्वारा नियम 4 के अनुसार प्रधान लेखा अधिकारी, इन बोर्डों की राजस्व संग्रहण योजना के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या केन्द्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा विशेषतः चालान प्ररूपों का उपयोग करते हुए, रिजर्व बैंक या बैंक की प्राधिकृत शाखाओं में या उनके पोर्टल पर प्रत्यय या प्रेषित की जाएंगी।

9. अभिस्वीकृति को जारी करना और प्राप्तियों को प्रदान करना.— (1) प्राधिकृत सरकारी अधिकारी या बैंक निविदाकार को चैक या मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से धन को ग्रहण करने या धन चुकाने के विरुद्ध तारीख, समय और मुहर को उपदर्शित करते हुए एक अभिस्वीकृति जारी करेगा।

(2) संदत्त लिखत को चुकाने के पश्चात् यथास्थिति, बैंक में ऑनलाइन संदाय के मामले में एक रसीद या स्टांप चालान या ई-चालान प्राधिकृत सरकारी अधिकारी या बैंक द्वारा निविदाकार को दिया जाएगा।

(3) कोई सरकारी अधिकारी धन प्राप्ति के लिए रसीद की दूसरी प्रति इस आधार पर जारी नहीं करेगा कि मूल रसीद खो गई है।

(4) आवश्यकता के मामले में कार्यालय प्रति की सत्यापित या प्रमाणित फोटो प्रति उसके लिखित अनुरोध पर संदायकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।

10. सरकारी राजस्वों, देयों आदि की प्राप्ति की तारीख.— (1) किसी चैक या मांगदेय पत्र या धनादेश या पोस्टल आर्डर के रूप में दिए गए सरकारी देय जिन्हें प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जाता है और भुगतान किया जाता है,

- (क) जब किसी चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर को किसी बैंक या डाकघर में उस तारीख को दिया जाता है, जिसको उनका समाशोधन किया गया था और प्राप्ति रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि की गई थी ;
- (ख) किसी चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर को किसी विभागीय अधिकारी को उनके दिए जाने के पश्चात् तीसरे कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है (उन मामलों में जहां ऐसा प्रस्तुत किया जाना विभागीय उपाबंधों के अधीन अनुज्ञेय या अपेक्षित है) ;
- (ग) यदि धन का संदाय डाक द्वारा संदाय करने के लिए अनुदेशों के अनुसरण में उस तारीख को जिसको अंतर्विष्ट करने वाले लिफाफे को डाक में डाला जाता है, किया जाता है ;
- (घ) यदि धन का संदाय डाक धनादेश या सरकार द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसरण में डाक द्वारा धन का विप्रेषण करने के किसी अन्य मान्यताप्राप्त ढंग द्वारा किया जाता है, उस तारीख को जिसको धनादेश को डाक में डाला गया था, संदत्त किया गया समझा जाएगा।

परन्तु जहां किसी चैक या ड्राफ्ट को कतिपय तारीख से पूर्व संदेय नहीं चिन्हित किया जाता है, संदाय को तब तक किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक वह तारीख को संदेय नहीं हो जाता है।

(2) इलैक्ट्रॉनिक रीति के माध्यम से संदत्त सरकारी राजस्वों, देयों आदि उस तारीख को सरकार को संदत्त समझे जाएंगे जिसको रिजर्व बैंक में सरकारी खाते में धन को प्रत्यय करने के लिए विभाग के बैंक द्वारा ग्रहण किया गया है और प्राप्ति रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है।

(3) प्राधिकृत बैंक से शास्तिक ब्याज का दावा करने के लिए देरी की अवधि संगणना बैंक या मांगदेय ड्राफ्ट को चुकाने की तारीख से रिजर्व बैंक में जमा करने के दिन से पूर्व की तारीख को की जाएगी।

स्पष्टीकरण— इन नियमों के प्रयोजन के लिए 'जमा करना' रिजर्व बैंक में सरकारी खाते में धन के प्रत्यय को निर्दिष्ट करता है।

11. सरकार के विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.— धन वसूल करने के लिए सरकारी देयों को चुकाने और प्राप्तियों को प्रदान करने के संबंध में सरकारी के किसी विशिष्ट विभाग में अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग के साथ परामर्श करके विरचित की जाएगी।

12. रिजर्व बैंक और बैंक के उत्तरदायित्व का विस्तार.— (1) इन नियमों में या इन नियमों के लागू होने में अंतर्विष्ट किसी बात का यह प्रभाव नहीं होगा जिससे कि कोई ऐसा उत्तरदायित्व जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के द्वारा उस पर अधिरोपित नहीं किया गया है, सरकार के कारबार के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

(2) बैंक, किसी मान्यताप्राप्त अवकाश पर या किसी दिन पर सामान्य कारबार के घंटों से परे (प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम कार्य दिवस पर), यदि ऐसा महालेखा नियंत्रक या किसी प्राधिकारी या ऐसे नामनिर्दिष्ट किए गए प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित किया गया है, सरकार संव्यवहार के संचालन के लिए खुला रहेगा।

13. सरकारी खाते से धनराशि का निकाला जाना.— (1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय या जब तक किसी मामले में सरकार अन्यथा विनिर्दिष्ट न करें, पीएओ सरकारी खाते से धन को निकालने के लिए प्राधिकृत होगा।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महालेखा नियंत्रक कतिपय शर्तों के अध्याधीन और प्रमुख लेखा संगठन के प्रमुख की सलाह पर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए धन को निकालने हेतु बैंक आहरण और संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ) के रूप में किसी कार्यालय या मंत्रालय या विभाग के राजपत्रित अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) बैंक आहरण और संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ) धन निकाल सकेगा और संबंधित पीएओ को महालेखा नियंत्रक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उससे संबंधित ब्यौरे, लेखें और अन्य रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा।

(4) गैर-सिविल मंत्रालयों और विभागों के सम्बन्ध में बैंक आहरण और संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ) लेखा संगठन के प्रमुख की सलाह पर संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय या किसी मामले में जब तक सरकार अन्यथा निदेश नहीं देती, धनराशियों को पीएओ की ओर से खोले गए खाते से पीएओ द्वारा या प्रत्यायित बैंक की किसी विनिर्दिष्ट शाखा में बैंक आहरण और संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ) की ओर से खोले गए समनुदेशन खाते से बैंक आहरण और संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ) द्वारा सरकारी खाते से संदाय के लिए प्राधिकृत रीति के माध्यम के सिवाय सरकारी खाते से निकाला नहीं जाएगा।

(6) (क) जहां तक सिविल मंत्रालयों या विभागों का सम्बन्ध है, पीएओ और बैंक आहरण और संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ) की ओर से बैंक खाते महालेखा नियंत्रक की सलाह से मंत्रालय या विभाग के लेखा संगठन के प्रमुख द्वारा खोले जाएंगे।

(ख) गैर-सिविल मंत्रालयों और विभागों के सम्बन्ध में बैंक खाते संबंधित मंत्रालय या विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से खोले जाएंगे।

(7) सरकारी कार्यालय की ओर से बैंक खाता, जिसमें भारतीय रुपए में निकासी के प्रयोजन के लिए विदेश में स्थित मिशन या पोस्ट भी शामिल है, लेखा संगठन के प्रमुख के आदेश के अधीन संबंधित मंत्रालय या विभाग के प्रत्यायित बैंक में, भारत में, खोला जाएगा।

(8)(क) सरकारी कार्यालय जिसमें विदेश में स्थित मिशन या पोस्ट शामिल है, विदेशी मुद्राओं में सरकारी खाते से धन निकालने के लिए अनुज्ञात होगा और लेखा संगठन के प्रमुख के माध्यम से महालेखा नियंत्रक की सलाह से प्रधान कार्यालय या मिशन या पोस्ट द्वारा खोला जाएगा।

(ख) संबंधित मंत्रालय या विभाग अपने बैंक के माध्यम से अपने बैंक को सलाह जारी करने द्वारा भारत से ऐसे खाते में विदेशी मुद्रा को प्रेषित करने की व्यवस्था करेगा।

(ग) मंत्रालय या विभाग भारत से विदेश मुद्रा में अपने बैंक को सलाह जारी करके सरकारी अधिकारी मिशनर पोस्ट या विदेशी सरकार या विदेशी संगठन या विदेश में स्थित अभिकरण को संदाय की व्यवस्था करेगा।

(घ) सलाह को प्राप्ति पर बैंक पाने वालों को और भारतीय रुपए में समतुल्य मूल्य के दावे जिसमें अनुषंगिक और उपरि के व्यय आदि शामिल है, अपेक्षित विदेशी मुद्रा संबंधित मंत्रालय या विभाग के लेखा संगठन के प्रमुख द्वारा मंत्रालय या विभाग के पीएओ को प्रस्तुत करते हुए, दैनिक सूची संदाय के माध्यम से सीधे प्रेषित करने की व्यवस्था करेगा।

(ङ) बैंक से प्राप्त की गई संदाय सूची के आधार पर पीएओ खाते से संबंधित प्रकार्य शीर्ष के अधीन व्यय के लिए खाता रखेगा।

(9)(क) महालेखा नियंत्रक की सलाह से संबंधित मंत्रालय या विभाग केवल विशेष आदेश या अनुज्ञा के अधीन सरकारी खाते के लोक लेखा प्रभाग में व्यक्तिगत जमा खाते को खोलने के लिए प्राधिकारी होगा और मंत्रालय और विभाग अपने नियंत्रण के अधीन खोले गए ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते की सूची रखेगा और सहायक अनुदेशों में यथा विनिर्दिष्ट विस्तृत प्रक्रिया का पालन करेगा।

(ख) सामान्यतया निम्न प्रकार के मामलों में वैयक्तिक जमाखाते खोला जाना प्राधिकृत किया जाता है, अर्थात्:-

(i) संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से निविदत्त धन का प्रशासन करने और संलग्न संपदाओं या संस्कार के प्रबंध के अधीन संपदाओं के प्रयोजनों के लिए नियुक्त प्रशासक के पक्ष में और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रारंभिक खातों से संसक्त रखरखाव करने और संपरीक्षा करने के लिए उचित इंतजाम किए गए हों;

(ii) सिविल और दांडिक न्यायालयों के निक्षेपों के संबंध में संबद्ध मुख्य न्यायिक प्राधिकारी के पक्ष में;

(iii) जहां सरकार के कतिपय विनियामक कार्यकलापों के अधीन प्राप्तियां निर्मुक्त की जाती हैं और अधिनियम के उपबंधों के अधीन निधि या खाते में उसके अधीन व्यय के लिए उपयोग किए जाने हेतु जमा की जाती है और उसमें समेकित निधि से कोई निर्गम अंतर्वर्तित नहीं है;

(iv) जहां किसी विधि या विधि का बल रखने वाले नियमों द्वारा वैयक्तिक जमाखाते का सृजन किया जाना अपेक्षित है और विशेष अधिनियमितियों के कारण सरकार पर कतिपय दायित्व न्यागत होते हैं;

(v) रक्षा विभागों में लोक निधियों या रेजिमेंट निधियों के प्रशासन में अधिकारी कमांड इकाईयां और अन्य समुत्थान:

परंतु रेजिमेंट निधियां प्राधिकृत, विभागीय विनियमों के अधीन सरकारी खाते से बाहर प्रत्यायित बैंक की किसी शाखा में निक्षेपित की जा सकेगी।

10(क) उपनियम (9) के खंड (ख) के मद (i), (ii) और (v) में विनिर्दिष्ट प्रकार से भिन्न प्रकार का वैयक्तिक जमा खाता केवल लेखा संगठन के प्रमुख की सिफारिशों पर लेखा महानियंत्रक के अनुमोदन से संबद्ध मंत्रालय या विभाग के विशेष आदेश या अनुज्ञा के अधीन ही खोला जा सकेगा।

(ख) संबद्ध मंत्रालय या विभाग द्वारा यह समाधान होने के पश्चात् कि वैयक्तिक जमा खाते में धारित किए जाने वाले धन का प्रारंभिक लेखा और संवितरण उचित रूप से अनुरक्षित किया गया है और वह संपरीक्षा के अधीन है।

11. प्रत्येक वैयक्तिक जमाखाता सरकारी खाते का भाग होगा और उसके लोकखाता भाग में अवस्थित होगा तथा वैयक्तिक जमाखाता खोलने, प्रचालन, पुनःनिर्माण के संबंध में सरकारी अधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया सहायक अनुदेशों में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

12. पीएओ या सीडीडीओ अपने द्वारा किए जा रहे प्रत्येक संदाय की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त सूचना प्राप्त करेंगे और ऐसे किसी दावे को स्वीकार नहीं करेंगे जो औपचारिक रूप से उस सूचना को प्रदान नहीं करता है जब तक कि किसी व्यक्तिगत दावे या लोकहित में दावों के प्रकार पर प्रकृति के प्रकटन के विरोध सरकार के विनिर्दिष्ट आदेश न हो।

13.(क) इन नियमों में विनिर्दिष्ट साधारण प्रक्रिया के अधीन रहते हुए सरकारी खाते से धन के प्रत्याहरण, संदाय के लिए दावों की प्रस्तुति संदाय की रीतियों और बैंककारी ठहराव के लिए सरकार के किसी विभाग में सरकारी अधिकारी द्वारा अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया सहायक अनुदेशों में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

(ख) सहायक अनुदेशों के अधीन स्थापित प्रणालियां और प्रक्रियाएं ऐसे साधारण या विशेष अनुदेशों या आदेशों के अधीन होगी, जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक द्वारा समय समय पर जारी किए जाएं।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "गैर-सिविल मंत्रालय या विभागों" पद से रेलवे, रक्षा, डाक और दूरसंचार मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है।

14. सरकारी खाते से प्रत्याहरण या संदायों की रीतियां.- (1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय और उस दशा में जब तक कि सरकार अन्यथा निदेश न दे, सरकारी खाते से धन का कोई प्रत्याहरण सहायक अनुदेशों में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और प्रक्रिया में उस प्रयोजन के लिए सुसंगत दावों के समर्थन में बिल की प्रस्तुति के सिवाय नहीं किया जाएगा।

(2) पाने वाले द्वारा उपदर्शित संदाय की पूर्ण विशिष्टियों से युक्त और डीडीओ द्वारा अधिप्रमाणित, पीएओ या सीडीडीओ द्वारा सम्यक् रूप से पारित और संदत्त बिल, "संदाय वाउचर या ई-संदाय वाउचर" हो जाएगा।

(3) दावे के समर्थन में बिजली, टेलीफोन और जल प्रभारों के लिए टेलीफोन विभाग या राज्य विद्युत बोर्ड या स्थानीय निकायों से दावों या ई-दावों के साथ संलग्न समर्थन दस्तावेज उदाहरण के लिए बीजक, नकदी रसीद और मांग बिल सुसंगत दावों के समर्थन में उप वाउचर हो जाएंगे।

(4) किए गए कार्य या प्रदान की गई सेवाओं या आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए प्रदायकर्ता या विक्रेता, प्राप्तिकर्ता, उधारगृहिता संस्थाओं, स्वायत्त निकायों, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार को संदाय, संबद्ध पाने वाले के अनुरोध और खर्च पर सरकारी खाते से संदाय के लिए प्राधिकृत किसी रीति द्वारा किया जाएगा:

परंतु धनीय सीमाओं से अधिक के सभी संदाय केवल संदाय संज्ञापनों के माध्यम से किए जाएंगे।

(5) सरकारी सेवक को किए गए सभी संदाय जिसके अंतर्गत वेतन भी है, बैंकिंग सुविधाओं और डाकघरों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए उनके बैंक खातों या डाकघर बचत बैंक खातों में सीधे जमा किए जाने के लिए संदाय संज्ञापन द्वारा किए जाएंगे:

परंतु निम्नलिखित मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नकद संदाय के लिए शिथिलिकरण प्रदान किया जा सकेगा,-

(i) कठिनाई की दशा में, जहां विभाग प्रमुख द्वारा लेखा संगठन के प्रमुख के परामर्श से कारण का सम्यक् रूप से अनुमोदन किया गया है।

(ii) विनिर्दिष्ट प्रकृति के प्रवर्तन या कार्यक्रम अथवा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत विनिश्चय के प्रचालीकरण की दशा में, जहां संदायों के ब्यौरों का प्रकटन नहीं किया जाना है।

(6) सरकारी सेवकों को नकद में किए गए संदायों के लिए सहायक अनुदेशों में यथा विनिर्दिष्ट निस्तारण प्राप्त किया जाएगा।

(7) सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में, सरकारी सेवक की मृत्यु के दिन (मध्यरात्रि से प्रारंभ होने वाला और समाप्त होने वाला कैलेंडर दिन) उस समय पर ध्यान दिए बिना जब उसकी मृत्यु हुई है, के लिए वेतन और भत्ते प्रत्याहृत किए जाएंगे।

15. संदाय का स्थान.-संदाय का स्थान डीडीओ द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और संदाय प्राधिकृत रीति के माध्यम से किया जाएगा।

16. चैक या प्रतिदाय आदेश की विधिमान्यता अवधि.-(1) किसी विधि, नियम या विभागीय विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इन नियमों के अधीन संदाय करने या राजस्व के प्रतिदाय के लिए जारी संदाय आदेश के लिए भारत में जारी किया गया कोई चैक, उसके जारी किए जाने की तारीख से तीन महीने के लिए विधिमान्य होगा।

(2) उसके पश्चात् कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि मंजूरी प्राधिकारी द्वारा नया चैक या रिफंड आदेश जारी नहीं किया जाता।

(3) विदेशी चैक की दशा में ऐसे चैक की विधिमान्यता की अवधि उस देश में लागू विधियों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

17. संदाय की तारीख.-(1) जहां कही पाने वाले के बैंक खाते में रकम को सीधा जमा करने के लिए डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित संदाय संज्ञापन जारी करके पीएओ या सीडीडीओ द्वारा संदाय का इंतजाम किया जाता है, तो वह तारीख जिसको ऐसा संज्ञापन बैंक के संदाय गेटवे पर सफलतापूर्वक अपलोड किया जाता है या संदाय संज्ञापन में उल्लिखित नियत तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, संदाय की तारीख के रूप में गिनी जाएगी।

(2) जहां कही पाने वाले के बैंक खाते में रकम को सीधा जमा करने के लिए डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित संज्ञापन से भिन्न संदाय संज्ञापन जारी करके पीएओ या सीडीडीओ द्वारा संदाय का इंतजाम किया जाता है, तो संदाय की तारीख उस तारीख के रूप में, जिसको ऐसा संज्ञापन बैंक को सौंप दिया जाता है या संदाय संज्ञापन में उल्लिखित तारीख, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, गिनी जाएगी।

(3) जहां कही रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई संज्ञापन जारी करके संदाय का इंतजाम किया जाता है, संदाय की तारीख, रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त संदाय सूची में सुसंगत प्रविष्टि के सामने उपदर्शित तारीख के रूप में गिनी जाएगी।

(4) जब कभी विदेश में पाने वाले को विदेशी मुद्रा में बैंक को संज्ञापन जारी करके भारत से संदाय का इंतजाम किया जाता है, तो संदाय की तारीख उस तारीख को गिनी जाएगी जब विदेशी मुद्रा को विप्रेषित किया जाता है और बैंक द्वारा संदाय सूची में समतुल्य रकम प्रविष्टि की जाती है।

(5) जहां कही सरकार द्वारा डाक धनादेश या डाक द्वारा धन प्रेषित करने की किसी अन्य मान्यताप्राप्त रीति द्वारा संदाय किया जाता है, तो संदाय की तारीख उस तारीख से गिनी जाएगी जिसको डाकघर द्वारा धन के लिए पावती जारी की जाती है।

(6) जहां कही नकद द्वारा संदाय किया जाता है, तो वह तारीख जिसको ऐसा नकद संदत्त किया जाता है, संदाय की तारीख के रूप में गिनी जाएगी।

(7) अग्रिम कर नियमों का सार संग्रह के नियम 14 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संदाय की तारीख जब संदाय चैक द्वारा किया जाता है, तो निम्नानुसार गिनी जाएगी, -

(क) चैक की तारीख से अगला बैंक कार्यदिवस, यदि चैक पाने वाले को या कर्मचारी के प्राधिकृत वाहक को दे दिया जाता है और उस पर विनिर्दिष्ट तारीख को संदाय के लिए उपरिलेखन नहीं किया गया है;

(ख) चैक पर लिखी गई विनिर्दिष्ट तारीख, यदि चैक पाने वाले को या कर्मचारी के प्राधिकृत वाहक को दे दिया जाता है और चैक पर विनिर्दिष्ट तारीख को संदाय के लिए उपरिलेखन किया गया है;

(ग) यथास्थिति, वह तारीख जिसको चैक वाला लिफाफा डाक में डाला जाता है या विनिर्दिष्ट तारीख, यदि उस पर विनिर्दिष्ट तारीख को संदाय के लिए उपरिलेखन किया गया है, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, यदि चैक पाने वाले को डाक द्वारा उसे भेजने के लिए अनुरोध के अनुसरण में पोस्ट किया जाता है।

(8) जहां कही संदाय का पाने वाले के लिए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इंतजाम किया जाता है, तो संदाय की तारीख को निम्नानुसार गिना जाएगा,-

(क) वह तारीख, जिसको वह पाने वाले को या कर्मचारी के प्राधिकृत व्यक्ति को दिया जाता है या ऊपरलिखित विनिर्दिष्ट तारीख को, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो; या

(ख) यथास्थिति, यदि इसे पाने वाले के लिए पोस्ट किया जाता है, तो वह तारीख जिसको ड्राफ्ट का लिफाफा डाक में डाला जाता है या उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो।

18. संदाय के लिए दावा.—कोई सरकारी अधिकारी जिसे धन संदत्त किया गया है वह प्रत्येक दावे के लिए दावे की पूर्ण और स्पष्ट विशिष्टियां तथा खाते में उसके उचित वर्गीकरण और निर्धारण के लिए सभी आवश्यक सूचना जिसके अंतर्गत सरकार के पास पूर्व में निविष्ट राशियों का प्रतिसंदाय भी है, प्राप्त करेगा।

19. धन प्रत्याहरण के लिए दायित्व.—(1) यदि सीडीडीओ, पीएओ से यह सूचना प्राप्त करता है कि धन को गलत रूप से प्रत्याहरित किया गया है और किसी पारित किए गए बिल के संबंध में कतिपय राशि की वसूली की जानी चाहिए, तो उसकी वसूली बिना किसी देरी और कटौती आदेश के प्रति किए गए या अनुध्यात किसी पत्राचार के बिना की जाएगी और ऐसी राशि सरकारी खाते में ऐसी रीति में जैसा पीएओ निदेश करे, विप्रेषित की जाएगी।

(2) पीएओ द्वारा अधिक संदाय या गलत प्रत्याहरण की दशा में, उसकी वसूली पीएओ द्वारा बिना किसी देरी और कटौती आदेश के प्रति किए गए या अनुध्यात किसी पत्राचार के बिना विभागीय अधिकारी के माध्यम से की जाएगी और ऐसी राशि सरकारी खाते में विप्रेषित की जाएगी।

(3) (क) सरकारी अधिकारी जिसे व्यय के लिए निधियां समनुदेशित की गई है ऐसी निधियों के लिए उत्तरदायी होगा जब तक कि उनका लेखा संबद्ध पीएओ के समाधान के लिए नहीं भेजा जाता है।

(ख) वह यह देखने के लिए भी उत्तरदायी होगा कि संदाय उसे प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्तियों को किया जाता है।

(4) यदि सरकारी अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी निधियों का लेखा प्रदान किया जाएगा, की पहचान के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती है, तो उसका विनिश्चय प्राधिकृत विभागीय विनियमों द्वारा किया जाएगा।

20. नकद बही का रखरखाव.- इन नियमों या किन्हीं प्राधिकृत विभागीय विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सभी सरकारी अधिकारी (जिसे इन नियमों में कार्यालय प्रमुख कहा गया है) सहायक अनुदेशों में विनिर्दिष्ट रूपविधान और प्रक्रिया के अनुसार सभी धनीय संव्यवहारों के अभिलेखन के लिए एक नकद बही का रखरखाव करेंगे।

21. सरकारी खाते से धन के प्रत्याहरण का वर्जन.—सरकारी अधिकारी, नियम 14 के अधीन सरकारी खाते से प्रत्याहरित धन का प्रत्यायित बैंक के साथ अनुरक्षित से भिन्न बैंक खाते में निक्षेप नहीं करेंगे, जब तक कि सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञा नहीं दी जाए।

22. राजस्व का प्रतिदाय.—(1) राजस्व के प्रतिदाय की सभी मंजूरीयां (कर या गैर कर) यथास्थिति प्रशासक या विभागीय प्राधिकारी के आदेशों द्वारा विनियमित की जाएगी और बिल मंजूरी के विरुद्ध तैयार किए जाएंगे।

(2) राजस्व के प्रतिदाय का केवल मांग पर या उचित प्राधिकारी को ऐसे प्रतिदाय को प्रस्तुत करने के पश्चात् ऐसा प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को प्राप्त होने पर प्रत्याहरित किया जा सकता है।

(3) प्रत्यक्ष करों या अप्रत्यक्ष करों का प्रतिदाय, क्रमशः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क (सीबीआईसी) बोर्ड द्वारा जारी किए गए विभागीय अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगा।

(4) एकत्रण से पहले राजस्व की माफी को मांग में कमी के रूप में माना जाना चाहिए और प्रतिदाय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए तथा इसी प्रकार, राजस्व के प्रतिदाय को अनुदान या लेखानुदान के प्रयोजनों के लिए व्यय के रूप में नहीं माना चाहिए।

23. ऋण और अग्रिम - (1) राज्य सरकार, सरकारी संस्थानों और अन्य सरकारी निकायों की विशेष सिफारिशों पर राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों, स्थानीय निकायों, विदेशी सरकारों को सभी ऋण, साधारण वित्तीय नियम, 2017 में अंतर्विष्ट निम्नलिखित साधारण शर्तों के अनुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(क) कोई ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि नियत की जाएगी जिसमें प्रत्येक ऋण को शोध्य ब्याज सहित पूर्णतया प्रतिसंदत्त करना होगा और अति विशेष मामलों में इस अवधि का तीस वर्ष तक विस्तार किया जा सकेगा;

(ख) अवधि की संगणना उस तारीख से की जानी है जिसको ऋण पूर्णतया आहरित किया है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऋण समाप्त होना घोषित किया है;

(ग) ऋण का प्रतिसंदाय, विशेष रूप से विहित की जाने वाली संदाय की देय तारीख सहित, वार्षिक आधार पर नियत किशतों द्वारा किया जाएगा ;

(घ) यदि किसी किशत का देय तारीख से पूर्व संदाय किया जाता है तो उसे पूर्ण रूप से मूलधन के रूप में लिया जाएगा परंतु इसके साथ किशत के वास्तविक संदाय की अद्यतन तारीख तक शोध्य ब्याज भी हो; यदि नहीं है तो किशत की रकम में से पहले कार्यवाही और वर्तमान अवधि के लिए शोध्य ब्याज के प्रति समायोजन किया जाएगा तथा अतिशेष, यदि कोई है, को मूलधन के प्रति प्रयुक्त किया जाएगा;

(ड.) जब मूलधन या ब्याज की किसी किश्त की संदाय की देय तारीख रविवार या किसी सार्वजनिक अवकाश या रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किसी अवकाश पर आती है तो रविवार या सार्वजनिक अवकाश के पश्चात् अगले कार्य दिवस पर किया गया संदाय देय तारीख पर किए संदाय के रूप में माना जाएगा और उस दिन या दिनों के लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा जिसके द्वारा वसूली स्थगित की है:

परंतु यदि मूलधन या ब्याज की कोई किश्त किसी वर्ष के 31 मार्च को संदेय है और यदि वह दिन कोई सार्वजनिक अवकाश या उपरोक्त कथित दिन है तो वसूलियां ठीक उत्तरवर्ती कार्यदिवस को की जाएंगी;

(च) किसी ऋण के मूलधन का प्रतिसंदाय और ब्याज का संदाय, उस कलेंडर तारीख के प्रति निर्देश किया जाएगा जिसको प्रश्नगत ऋण का संदाय किया है और जहां किश्त का संदाय, देय तारीख से 14 दिन या अन्यून, अग्रिम किया है तो उस पर पूरे वर्ष या आधे वर्ष (वसूली की विहित पद्धति पर निर्भर) के लिए ब्याज लगाया जाएगा;

(छ) किसी वर्ष के 31 मार्च को या उससे पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार को ऋण मंजूर करने की दशा में, जिसे रिजर्व बैंक की बही में अप्रैल मास में समायोजित किया गया है किन्तु पूर्व वर्ष के लेखों में मूलधन और/या ब्याज की किश्त उत्तरवर्ती वर्ष की 31 मार्च को संदाय हेतु शोध्य होगी, न कि अप्रैल में उस कलेंडर तारीख की वार्षिकी को जिसको अंतर-सरकारी समायोजन किया गया था।

(2) किसी राज्य सरकार द्वारा कोई ऋण निकालने की तारीख निम्न उपदर्शित अनुसार अवधारित की जाएगी, --

(क) जहां धनीय समझौता अंतर्वलित है, -

(i) सामान्यतया उस तारीख को जिसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार के खाते में वास्तव में ऋण की रकम जमा की जाती है, को उसके निकालने की तारीख के रूप में समझा जाएगा;

(ii) यह स्थिति उन मामलों में भी होगी जहां लेखों में समायोजन किसी मास में किया है परंतु रिजर्व बैंक की बही में समायोजन आगामी कलेंडर मास में आता है;

(iii) उस कलेंडर तारीख जिसको ऐसे मामलों में रिजर्व बैंक की बही में राज्य सरकार को वास्तव में रकम जमा की जाती है, उसके निकालने की तारीख के रूप में माना जाएगा:

परंतु जहां रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल मास में प्राप्तकर्ता राज्य सरकार को ऋण दिया गया है किन्तु पूर्व वर्ष के लेखों में, वहां ऋण उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को संदत्त किया समझा जाएगा जिसके लिए संदाय का समायोजन किया गया है:

परंतु यह और कि ऐसे ऋणों के संबंध में मूलधन की किश्त के प्रतिसंदाय के साथ वार्षिक ब्याज का संदाय भी उत्तरवर्ती वर्ष के 31 मार्च को शोध्य होगा, अप्रैल में उस कलेंडर मास की वार्षिकी को नहीं, जिसको रिजर्व बैंक की बही में ऐसे ऋणों के कारण अंतर-सरकारी समायोजन किया गया था;

(ख) जहां धनीय समझौता अंतर्वलित नहीं है - ऐसे मामलों के संबंध में जहां केवल लेखा कार्यालयों की बहियों में समायोजन अंतर्वलित है किंतु रिजर्व बैंक के माध्यम से वास्तविक जमा आवश्यक नहीं है, वहां मास की अंतिम तारीख जिसको ऐसा समायोजन प्रभावी हुआ है, को प्रतिसंदाय और ब्याज लगाने के प्रयोजनों के लिए ऋण आहरण की तारीख के रूप में लिया जाएगा।

(3) ऋण के संदाय में किसी चूक से बचने के लिए, प्रधान लेखा अधिकारी या वेतन और लेखा अधिकारी जो ऋणों के ब्यौरेवार लेखा रखते हैं, ऋणियों (राज्य और संघराज्य क्षेत्रों से भिन्न) अर्थात् पब्लिक सैक्टर उपक्रमों, कानूनी निकायों और सरकारी संस्थानों को मूलधन और या उस पर ब्याज की किसी किश्त के प्रतिसंदाय हेतु देय तारीख से एक मास अग्रिम में प्ररूप जीएफआर-19 में नोटिस जारी करेंगे:

परंतु नोटिस देने में लोप से ऋणियों को मूलधन और या उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय में चूक के परिणामों से छूट का कोई दावा नहीं होगा।

टिप्पण 1: विभिन्न प्रवर्गों के अग्रिमों और ऋणों के लिए बिल जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उनके सिवाय जब वे विशेष नियमों (उदाहरण के लिए राज्य सरकारों, संघराज्य क्षेत्र के स्थानीय प्रशासनों, स्थानीय निकायों, विदेशी सरकारों को राज्य सरकार, सरकारी संस्थानों और अन्य सरकारी निकायों की विशिष्ट सिफारिशों पर सार्वजनिक धन के ऋणों हेतु) सरकार द्वारा जारी किए गए या इन नियमों के अन्य भाग में अंतर्विष्ट या प्राधिकृत विभागीय विनियमों द्वारा

शासित होते हैं, सहायता अनुदान जारी करने हेतु बिल प्रारूप के समान प्रारूप में ही कार्यालय के ऋण या अग्रिम संदाय मंजूरी प्राधिकारियों के आहरण अधिकारी द्वारा निकाले किये जाएंगे।

टिप्पण 2: बिल, ऐसे संदाय के लिए मंजूरी की प्रतिलिपि द्वारा समर्पित होगा।

टिप्पण 3: यदि प्रतिसंदत्त रकम में मूलधन के साथ ब्याज भी सम्मिलित है, तो ब्याज पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पण 4: यदि प्रतिसंदाय एक नियत आवधिक रकम है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों सम्मिलित हैं, तो रकम नियत करने वाले आदेशों को उद्धृत किया जाएगा।

(4) राजस्व अग्रिम निकालने के लिए विशेष प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत तकावी अग्रिम, भूमि सुधार अधिनियम के अधीन अग्रिम और कोई अन्य अग्रिम है, जिसे किसी विधि के उपबंधों के अधीन या सरकार के विशेष आदेश के अधीन देने के लिए राजस्व अधिकारियों को अनुज्ञा है या देने के लिए निदेश दिया गया है, अनुषंगी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

स्पष्टीकरण – लोक संकर्म विभाग में तकावी संकर्मों पर दिये गए व्यय के रूप में तकावी संकर्म अग्रिमों को (अर्थात् कृषकों के लिए अग्रिम), विभागीय नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है, वहां के सिवाय जहां ऐसे संकर्मों की प्राक्कथित लागत लोक संकर्म विभाग द्वारा वसूल की जाती है ऐसे अग्रिमों की वसूलियां कलक्टर द्वारा वैसे ही की जाएंगी जैसे भू-राजस्व की बकाया की जाती है।

5. (क) सरकारी अधिकारियों को विभागीय या सहबद्ध प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के विशेष आदेशों के अधीन अनुदत्त अग्रिम यथा आवश्यक वाउचरों द्वारा या लेखा महानियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिदाय द्वारा समर्थित ब्यौरेवार लेखा प्रस्तुत करके समायोजन की शर्त के अधीन रहते हुए उस अधिकारी के उत्तरदायित्व और रसीद पर निकाले जा सकेंगे जिसके लिए वे मंजूर किए गए हैं;

(ख) सर्वेक्षण और अन्य विभागीय व्ययों के लिए अग्रिमों की दशा में, जो अंततः प्राइवेट स्वामियों या अन्य पक्षकारों से वसूल किए जाते हैं, अग्रिमों के ब्यौरेवार लेखे रखना, उनकी वसूलियों और पर्यवेक्षण आदि की निगरानी का कर्तव्य संबद्ध विभागीय प्राधिकारियों का होगा, पीएओ केवल धन और ऋण ज्ञापन, जहां आवश्यक हो, सरकार के आदेशों के अनुसार रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) स्थानीय निकायों को ऋण प्रदान करने के संबंध में पालन की जाने वाली ब्यौरेवार प्रक्रिया, स्थानीय प्राधिकारी उधार अधिनियम, 1914 (1914 का 9) और भारत में तत्समय प्रवृत्त अन्य अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।

24. ऋणों पर ब्याज – (1) ब्याज, किसी विशिष्ट ऋण या संबंधित ऋणों के किसी प्रवर्ग के लिए, सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज की दर पर लगाया जाएगा।

(2) किसी ऋण पर संदाय के दिन हेतु ब्याज लगेगा किंतु प्रतिसंदाय के दिन के लिए ब्याज नहीं लगेगा।

(3) किसी पूर्ण वर्ष से कम की अवधि के लिए ब्याज, निम्न प्रकार संगणित किया जाएगा, -

ब्याज की दर वार्षिक X दिनों की संख्या

365 (लीप वर्ष की दशा में 366),

जब तक कि किसी विविनिर्दिष्ट मामले या मामलों के प्रवर्ग में कोई विशिष्ट संगणना की अन्य पद्धति न हो।

25. लोक ऋण, भविष्य निधि, निक्षेप आदि.—(1) लोक ऋण से सरकार के ऐसे उधार अभिप्रेत हैं जो आंतरिक स्रोतों जैसे बाजार ऋण, खजाना बिलों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और पोस्ट आफिस बचत जमा आदि और बाहरी स्रोतों जैसे विदेशों या विदेशी संस्थानों आदि से ऋण हैं।

(2) सरकार द्वारा प्रतिभूतियां जारी करने से उद्भूत आंतरिक लोक ऋण का रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रबंध किया जाएगा।

(3) ऐसे चैकों का संदाय, जिसके अंतर्गत लोक ऋण कार्यालय अधिपत्र भी हैं, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) द्वारा शासित हैं, उक्त अधिनियम के उपबंधों और रूढ़ियों द्वारा बैंकारों के बीच साधारणतया मान्यताप्राप्त स्थापित प्रथा के अनुसार किया जाएगा।

(4) बाजार ऋणों के मूलधन, खजाना बिलों के विक्रय और उन्मोचन तथा उस पर ब्याज जब वह शोध्य हो, संदाय करने के संबंध में रिजर्व बैंक के लोक ऋण अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं, सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी प्रतिभूति मैनुयल और अनुदेशों या विनियमों, यदि कोई हैं, में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होंगी।

(5) खजाना बिलों का संदाय, केवल उनकी परिपक्वता पर, बैंक के ऐसे कार्यालय पर किया जाएगा जहां से उन्हें जारी किया गया है।

(6) संदाय के पश्चात् उन्मोचित बिलों को उसी प्रकार माना जाएगा जैसे अन्य संदत्त वाउचर माने जाते हैं।

(7) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बाहरी अभिकरणों से ऋण या अनुदान प्राप्त करने के लिए करार का निष्पादन करेगा और ऐसे करार की एक प्रतिलिपि आर्थिक कार्य मंत्रालय, सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय को भेजा जाएगा जो साधारण वित्तीय नियम, 2017 के अध्याय 10 में विहित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्ति, संदाय और लेखांकन के लिए उत्तरदायी है।

(8) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, डाकघर बचत बैंक जमा, सावधिक जमा, आवर्ती जमाओं की अभिरक्षा, उनको जारी करने और उनके उन्मोचन के संबंध में डाकघरों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग, बजट अनुभाग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

टिप्पण: वे शर्तें जिनके अधीन विभिन्न मूल्य वर्ग के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जारी और उन्मोचित किए जाते हैं, विनिधान की अधिकतम सीमाएं और उन पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज तथा उससे संबंधित अन्य बातें केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए विशेष अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगी।

(9) सरकार की भविष्य निधि में अभिदाय की वसूली और ऐसी निधि से अग्रिम तथा प्रत्याहरण, सर्वथा निधि के सुसंगत नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार होंगे।

(10) डाकघर बीमा निधि को प्रीमियम या अभिदाय की वसूली सर्वथा निधि के नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

(11) केंद्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम (सीजीईजीआईएस) के सदस्यों से वसूली योग्य मासिक अभिदान की वेतन बिलों से कटौती की जाएगी और सदस्यों या मृतक सदस्यों के नाम निर्देशतियों को, यथास्थिति, उक्त स्कीम या नियमों के अधीन उद्भूत रकम का संदाय करने के लिए प्रक्रिया वह होगी जो सरकार द्वारा विहित की जाए।

(12) सरकारी लेखे में निक्षेप के लिए प्राप्त हुए धन का लोक लेखे के अधीन "ब्याज सहित निक्षेप" और "बिना ब्याज निक्षेप" के अधीन दो मुख्य प्रवर्गों के अंतर्गत आने वाले समुचित लेखा शीर्षों में वर्गीकरण किया जाएगा और सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(13) निक्षेप की वापिसी, केवल ऐसी निधि प्राप्त करने के हकदार आवेदक से प्राप्त हुए आवेदन की प्राप्ति पर होगी।

26. सरकारी प्रत्याभूति – (1) सरकारी प्रत्याभूति ऐसी व्यवस्था है जिसमें मुख्य ऋणी द्वारा व्यतिक्रम करने की दशा में कोई सरकारी इकाई किसी ऋण का संदाय करने या किसी आवद्धता को पूर्ण करने का वचन देती है।

(2) सरकार की प्रत्याभूति देने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 292, से उत्पन्न और ऐसी सीमाओं के अधीन है जो राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003(2003 का 39) तथा तदधीन बनाए गए नियमों के निबंधनों में नियत की गई है।

(3) मंत्रालय और विभाग, बजट अनुभाग द्वारा अधिसूचित दर के अनुसार प्रत्याभूति वर्ष के आरंभ में कुल बकाया रकम पर प्रत्याभूति फीस उद्गृहीत करेंगे और विहित फीस की त्वरित वसूली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

27. पेंशन संदाय – (1) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम भारत में और भारत के बाहर समेकित निधि में से संदेय सभी पेंशनों के संदाय के संबंध में प्रक्रिया को विनियमित करेंगे :

परंतु यदि किसी राज्य में, राज्य पेंशनों के संदाय हेतु भिन्न प्रक्रिया विहित की गई है, जब तक कि सरकार का तत्प्रतिकूल कोई साधारण या विशेष आदेश न हो, उस राज्य के खजाने से समेकित निधि में से संदेय किसी पेंशन के संबंध में वही प्रक्रिया लागू होगी :

परंतु यह और कि इन नियमों के प्रारंभ पर, केंद्रीय सरकार के खजाना नियम जो पेंशन संदाय, विनियमन या आदेश से संबंधित हैं जिसके अंतर्गत ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त कार्यालय ज्ञापन भी है, इन नियमों में अंतर्विष्ट जिन मामलों के संबंध में यह उपबंध करते हैं, प्रवृत्त में नहीं रहेंगे।

(2) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को प्रभावी करने वाली नहीं मानी जाएगी,-

(क) पेंशन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंध या उस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार के ऐसे कृत्यों का, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) के अधीन कृत्य के प्रत्यायोजन के परिणामस्वरूप उन्हें न्यस्त किया जाएं, राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग;

(ख) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन या उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं विभागीय विनियमों के भारत की समेकित निधि में से संदेय किसी पेंशन के संदाय हेतु प्रक्रिया विहित करने वाले उपबंधों;

(ग) भारत की संचित निधि से बाहर संदेय सरकारी पेंशन की ओर से प्राधिकृत बैंकों द्वारा संदाय के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा जारी विशेष आदेशों में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाएं और शर्तें।

(3)(क) निम्नलिखित केंद्रीय सरकार सिविल पेंशनभोगियों और अन्य पेंशनभोगियों की पेंशन संदाय प्रक्रिया, विद्यमान विभाग के नियमों के आधार पर लेखा महानियंत्रक द्वारा निम्नानुसार अधिकथित की जाएगी: -

(i) भूतपूर्व राष्ट्रपतियों और उप-राष्ट्रपतियों को पेंशन और अन्य सुविधाएं, जिसमें भूतपूर्व और दिवंगत राष्ट्रपतियों और उप-राष्ट्रपतियों के पति या पत्नी के चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सा व्यय और यात्रा व्यय का संदाय भी है;

(ii) संसद के भूतपूर्व सदस्य;

(iii) उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों

(iv) उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों;

(v) तारीख 01.04.2008 से अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों;

(vi) सिविल मंत्रालयों या विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकार के सभी पेंशनभोगियों जिसके अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या राज्य महालेखाकार और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग भी हैं;

(vii) विधानमंडल के बिना संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सभी पेंशनभोगियों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अंतरिम व्यवस्था के रूप में);

(viii) तारीख 1.1.1986 से दिवंगत अभिदायी भविष्य निधि लाभार्थियों के कुटुंबों को अनुग्रह पेंशन;

(ix) स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगियों अर्थात् स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना;

(x) राज्य महालेखाकारों के मंडल लेखाकार या मंडल लेखा अधिकारियों;

(xi) तारीख 1.1.2009 से विशेष फ्रंटियर फोर्स की स्वयंसेवी लड़कियों और तिब्बती महिला नर्सिंग सहायकों सहित अग्रणीयों और प्रशिक्षुओं को पेंशन।

(4) भारत में या भारत के बाहर रेलवे, डाक, दूरसंचार और रक्षा के पेंशनभोगियों को पेंशन का संदाय, उन मंत्रालयों और विभागों द्वारा विहित प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(5) इन नियमों के अधीन पेंशन का संदाय ऐसे सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए स्वीकार्य नहीं होगी जिन्होंने 1.1.2004 को या उसके पश्चात सेवा में सम्मिलित हुए हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अधीन आते हैं।

(6) पेंशन या कुटुंब पेंशन का संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 में अंतर्विष्ट उपबंधों और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपबंधों के अनुसार एनपीएस के अधीन कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु या निःशक्त होने की स्थिति में स्वीकार्य होगा।

(7) जब तक विषय या संदर्भ में कुछ भी विरुद्ध न हो, सरकार द्वारा या उसकी ओर से या किसी विदेशी सरकार, स्थानीय निधि या किसी अन्य प्राधिकरण के अभिकर्ता के रूप में संदेय पेंशन के संवितरण के किसी भी प्राधिकृत बैंक या अन्य कार्यालय में पेंशन के संदाय के संबंध में प्रक्रिया, लेखा महानियंत्रक द्वारा विहित प्रक्रिया द्वारा विनियमित की जाएगी।

(8) कुटुंब पेंशन निधि में अभिदाय के संबंध में संदेय पेंशन या कोई अन्य राशि, और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 (1923 का 8) के अधीन संदेय कोई भी राशि इन नियमों में सम्मिलित नहीं है।

28. पेंशन के संदाय का स्थान.-(1) विषय, जिसे इसके पश्चात् उपबंधित किया गया है, भारत में संदेय सेवा या राजनैतिक पेंशन वह किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकता है जैसे प्राधिकृत बैंक (प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से पेंशनभोगियों के लिए पेंशन के संदाय की स्कीम के अनुसार) या कोषागार या वेतन और लेखा कार्यालय जो ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन अंतिम बकाया या महालेखाकार के संदाय के लिए उत्तरदायी था जैसे लेखा महानियंत्रक द्वारा अधिकथित की जा सकती है।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए-

(i) "सेवा पेंशन" से वह पेंशन अभिप्रेत है, जिसमें संविधान के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात्, सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन पिछले नियोजन पर विचार करने वाले व्यक्ति को या उसके संबंध में संदेय अंतिम पेंशन सम्मिलित है और संदेय उपदान भी सम्मिलित है।

(ii) "राजनैतिक पेंशन" से ऐसी पेंशन जो राजनैतिक विचार या अनुकंपा के आधार पर या विशिष्ट या मेधावी सेवाओं के प्रतिफल पर या अधिकारों या परिलब्धियों के समर्पण पर दी गई या किसी व्यक्ति के संबंध में दी गई या परंपरागत रूप से संदेय पेंशन नहीं है अभिप्रेत है, और इसमें नियत भत्ते या अनुदान के रूप में संदेय समनुदेशन या क्षतिपूर्ति सम्मिलित है;

(2) असम राइफल्स के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन अरुणाचल प्रदेश के विजय नगर स्थित बैंकों या उप-डाकघरों के माध्यम से संवितरित की जा सकती है।

(3) नेपाल में रहने वाले पेंशनभोगियों को पेंशन भारतीय दूतावास काठमांडू (नेपाल) के माध्यम से संवितरित की जाएगी।

(4) निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय विदेशी पेंशनभोगियों को पेंशन भारत में संवितरित की जाएगी, अर्थात्: -

(क) बर्मा सिविल पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों;

(ख) सिंगापुर पेंशनभोगियों;

(ग) श्रीलंका पेंशनभोगियों;

(घ) पाकिस्तान सिविल पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों।

(5) ऐसे पेंशनभोगी जो डाक विभाग से सेवानिवृत्त होते हैं, अपने विकल्प के आधार पर अपनी पेंशन या तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से या भारत में अधिकृत डाकघर से प्राप्त कर सकते हैं।

(6) (क) रक्षा सेवाओं के पेंशनभोगियों को संदेय पेंशन वह निम्नलिखित में से किसी एक अभिकरणों द्वारा संवितरित किया जा सकता है;

(i) कोषागार अधिकारियों; या

(ii) पेंशन संदायकर्ताओं; या

(iii) ऐसे डाकघर जो इस संबंध में डाक विभाग द्वारा नामनिर्देशित किए जा सकते हैं; या

(iv) प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक;

(ख) रेलवे पेंशनभोगियों की पेंशन खंड (क) के मद (i), (iii), या (iv) में निर्दिष्ट अभिकरणों में से किसी एक द्वारा संवितरित की जा सकती है।

29. पेंशन संदाय आदेश और संदाय का रीति - (1) रक्षा पेंशन के मामले को छोड़कर जिनको पेंशन प्रमाणपत्र या रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी अन्य प्राधिकरण पर संदेय हैं या रेलवे पेंशन के मामले में जिनको रेलवे लेखा अधिकारी और डाक विभाग द्वारा पेंशन संदाय प्रमाणपत्र पर संदेय हैं या कार्यालय प्रमुख द्वारा अंतिम पेंशन के संदाय के मामले में या जब तक सरकार अन्यथा किसी विशिष्ट वर्ग के पेंशन के मामले में आदेश नहीं देती है, पेंशन का संदाय केवल पेंशन संदाय आदेश पर किया जा सकता है चाहे तो भौतिक रूप में हस्ताक्षरित स्याही में या संबंधित पीएओ द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया गया हो।

टिप्पण 1: पीएओ जो रेल, रक्षा मंत्रालय और डाक विभाग के सिवाए मंत्रालयों या विभागों के विभिन्न श्रेणियों के पेंशनभोगियों को पेंशन संदाय आदेश जारी करने में सक्षम हैं, वे मंत्रालयों या विभागों के पीएओ द्वारा उपयोग किया जाने वाले अभिहित इलेक्ट्रॉनिक संदाय मंच के माध्यम से अपने डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप (ई-पीपीओ) में पेंशन संदाय आदेश जारी करेंगे।

टिप्पण 2: ऐसे ई-पेंशन संदाय आदेशों की प्रसंस्करण की प्रक्रिया और अन्य जारी अनुदेश महालेखा नियंत्रक के कार्यालय और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी की जाएंगी।

(2) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय समय-समय पर केंद्रीय सिविल मंत्रालयों या विभागों द्वारा जारी पेंशन संदाय आदेशों के संबंध में एक केंद्रीय डाटा बैंक बनाए रखेगा।

(3) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के नामनिर्देशित पीएओ पेंशन के संवितरण के लिए प्राधिकृत बैंकों को विशेष मुहर प्राधिकारियों या ई-पीपीओ के साथ पेंशन संदाय आदेश को अग्रेषित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(4) इन नियमों में विहित साधारण प्रक्रिया के अधीन, पेंशन संवितरण प्राधिकरण (पीडीए) द्वारा पेंशन और कुटुंब पेंशन की प्रक्रिया के संवितरण के लिए विनियम या विस्तृत प्रक्रिया सहायक अनुदेशों में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

(5) कोई प्राधिकृत बैंक सरकार द्वारा पेंशन स्कीम पुस्तिका में यथा विहित पेंशनभोगियों के खाते में पेंशन का संदाय करेगा।

(6) भारत के भीतर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पेंशन संदाय करने के लिए भारी परिवर्तन सरकार द्वारा विहित रीति से अनुमत होगा।

30. पेंशन दावों का संदाय - (1) जहां तक सिविल मंत्रालयों या संबंधित विभागों का संबंध है, पेंशनभोगियों को अपनी पहली पेंशन जमा करने के लिए पेंशन संवितरण बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाने की अपेक्षा नहीं है, परंतु पेंशनभोगी से अधिक संदाय की वसूली के संबंध में अपेक्षित वचनबद्धता पेंशन संदाय आदेश के साथ सीपीएओ के माध्यम से संबंधित बैंक को अग्रेषित किया जाएगा।

(2) जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व नियोजित था, उस कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनंतिम पेंशन को उसी प्रकार वरीयता दी जाएगी जिस प्रकार उसके द्वारा वेतन और भत्ते का संवितरण किया जाता है।

टिप्पण: रक्षा सेवाओं के पेंशनभोगियों द्वारा विभागीय विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट विशेष प्ररूपों में अपने दावे प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) किसी पेंशनभोगी को विशेष रूप से व्यक्तिगत उपस्थिति से सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से छूट दी जाती है, एक महिला पेंशनभोगी जो सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने की आदी नहीं है, या एक पेंशनभोगी जो शारीरिक बीमारी या दुर्बलता के कारण उपस्थित होने में असमर्थ है, एक उत्तरदायी सरकारी अधिकारी या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य सुप्रसिद्ध और विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पेंशन प्राप्त कर सकता है।

(4) किसी पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी को आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली (जीवन प्रमाण) को ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकता है।

(5) पेंशन या कुटुंब पेंशन की अतिरिक्त मात्रा अन्य पेंशन नियमों या अधिनियमों में यथाविनिर्दिष्ट संदेय होगी और पेंशन संवितरण प्राधिकारी (पीडीए) उन्हें अतिरिक्त पेंशन का संदाय करने के लिए पेंशनभोगियों या कुटुंब पेंशनभोगियों से किसी भी अनुरोध या आवेदन के लिए बल नहीं दे सकते हैं।

(6) किसी पेंशनभोगी जो भारत में निवासी नहीं है, भारत में अपनी पेंशन एक अधिकृत बैंक के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

(7) जब कोई पेंशनभोगी अवयस्क है या किसी कारण से अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने में असमर्थ है और उसके पास नियमित रूप से नियुक्त प्रबंधक या अभिभावक नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट या जिला आयुक्त, पेंशनभोगी द्वारा या उसकी ओर से किए गए आवेदन और ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह अधिरोपित कर सकता है, पेंशनभोगी की ओर से प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को प्रबंधक या अभिभावक घोषित कर सकता है, उसे संदेय पेंशन और पेंशन का संदाय ऐसे प्रबंधक या अभिभावक को उसी प्रकार जैसे स्वयं पेंशनभोगी के लिए किया जा सकता है परंतु पेंशनभोगी के जीवित रहने और भुगतान द्वारा कवर की गई अवधि के लिए पेंशन प्राप्त करने के पात्र होने के प्रत्येक भुगतान के समय पर्याप्त साक्ष्य सामने आ रहे हों।

- (8) ऐसी घोषणा जिला मजिस्ट्रेट या जिला आयुक्त के विवेक पर किसी भी समय रद्द या बदली जा सकती है।
- (9) बकाया के संदाय के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट या जिला आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग उस मंत्रालय या विभाग के मुख्य नियंत्रक या लेखा नियंत्रक द्वारा किया जाएगा, जो लेखा संगठन के नेतृत्व के रूप में कार्य करता है, उस मामले में जहां पेंशन का संदाय मंत्रालय या विभाग या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पीएओ द्वारा पृथक लेखा संगठन के साथ किया जाता है।
- (10) भारत में संदाय के लिए विदेशी सरकारों द्वारा प्राधिकृत रूप में पेंशन का संदाय ऐसे साधारण या विशेष अनुदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा जैसे इस निमित्त सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

31. पेंशन के संराशित मूल्य का संदाय - पेंशन के एक भाग के संराशित मूल्य का संदाय इसे प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से हकदार व्यक्ति को केवल संबंधित पीएओ द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण पर कर सकता है।

32. उपदान का संदाय - (1) जैसा इसमें इसके पश्चात उपबंधित है उसके सिवाए, पीएओ से प्राप्त किसी प्राधिकरण को छोड़कर, उपदान का संदाय नहीं किया जाएगा जिसको मंजूरी प्राधिकारी द्वारा मंजूरी संसूचित कर दी गई हो।

(2) इसे उसी रीति से बनाया जाएगा जैसे भविष्य निधि से संबंधित नियमों में उपबंध किया गया है।

(3) किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनंतिम उपदान उस कार्यालय के प्रमुख द्वारा प्रत्येक उपदान के लिए अलग से लिया जाएगा जिसमें उसने अंतिम बार सेवा की थी।

(4) उप-नियम (1) के उपबंध ऐसे सरकारी कर्मचारी के लिए जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी, के कुटुंब को संदेय अनंतिम मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के आहरण और संवितरण के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

33. अनाहरित पेंशन और बकाया-(1) जब तक सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दे, तब तक एक वर्ष से अधिक समय तक अनाहरित रहने वाली पेंशन संदेय नहीं होगी।

(2) यदि पेंशनभोगी तत्पश्चात उपस्थित होता है या उसकी ओर से दावा प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके बाद होने वाली मासिक पेंशन का संदाय फिर से शुरू किया जा सकता है, किंतु बकाया का संदाय लेखा महानियंत्रक द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(3) किसी उपदान संदाय आदेश केवल एक वर्ष के लिए लागू रहेगा।

34. पेंशनभोगी की मृत्यु— सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी नियम या आदेश के अध्यक्षीन, मृतक पेंशनभोगी की बाबत शोध्य पेंशन के बकाया का संदाय निम्नलिखित शर्तों द्वारा विनियमित किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) पेंशन पेंशनभोगियों की मृत्यु के दिन के लिए आहरित की जाएगी, जिस समय पर मृत्यु होती है, दावे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है;

(ख) पेंशनभोगी की मृत्यु पर, वास्तव में शोध्य किसी बकाया का संदाय पेंशनभोगी के उत्तराधिकारियों को किया जाएगा।

35. जीवन प्रमाणपत्र और अन्य प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना— (1) पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी को सरकार द्वारा विहित रूप विधान में प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(2) पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र साथ-साथ अन्य प्रमाणपत्रों को बैंक की किसी शाखा में जिसके माध्यम से उनकी पेंशन या कुटुंब पेंशन संवितरित की जा रही है, में प्रस्तुत कर सकते हैं।

(3) आधार बायोमैट्रिक अधिप्रमाणीकरण के परिणामरूप किसी सरकारी अभिकरण (जीवन प्रमाण) द्वारा ऑनलाइन जारी किया गया जीवन प्रमाण पत्र भी विधिमान्य प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(4) पेंशनभोगी जो सरकार द्वारा विहित किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है।

(5) सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकार, समूह 'क' के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर वाणिज्यिक नियोजन की स्वीकृति और अस्वीकृति के संबंध में तथा भारत से बाहर की किसी सरकार के अधीन किसी स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में भी विहित प्ररूप में घोषणा प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(6) पेंशनभोगी को एक वर्ष में अनियोजन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(7) पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी को, यथास्थिति, विवाह या पुनर्विवाह प्रमाणपत्र, गैर- उपार्जन प्रमाणपत्र, निःशक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(8) पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा विभिन्न प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुपालित की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया सहायक अनुदेशों में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

टिप्पण: पेंशन जिसमें मंहगाई राहत सम्मिलित है नवंबर से आगे के लिए बैंक द्वारा जमा नहीं की जा सकती है यदि पेंशनभोगी अनियोजन प्रमाणपत्र या नियोजन या पुनर्नियोजन प्रमाणपत्र के सिवाय अपेक्षित प्रमाणपत्र नियत तारीख पर प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

36. पेंशन का पुनरीक्षण.— ऐसे मामलों में जहां संदेय पेंशन किसी कारण से पुनरीक्षित की जाती है पुनरीक्षित दर पर संदाय, बकाया सहित, यदि कोई हो, लेखा महानियंत्रक और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में संदत्त की जा सकती है।

37. कुटुंब पेंशन.— कुटुंब पेंशन सी जी ए या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर जारी की गई प्रक्रिया या आदेशों के अनुसार पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा संवितरित की जाएगी।

38. रक्षा पेंशन .— (1) सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए जाने वाले ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के अध्यक्षीन, पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा रक्षा पेंशनभोगियों को संदाय करने में अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया विभागीय विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

(2) एकल संदाय का दावा करने वाले रक्षा पेंशनभोगियों की पहचान करने में विशेष सावधानी रखी जाएगी।

(3) रक्षा लेखा महानियंत्रक अधिकारी द्वारा जारी किए गए तात्पर्यित पत्र मात्र पेश करना इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं माना जाएगा।

39. विभागीय खजाना तिजोरी.— सैनिक खजाना तिजोरी के प्रभारी अधिकारी और डाक विभाग के ऐसे कार्यालय जो नगद शेष की अभिरक्षा की बाबत खजाना अधिकारी के कर्तव्यों के सभी या किसी विहित भाग को पूरा करने को प्राधिकृत है, और सरकार के विरुद्ध दावा करते हैं, कि उनको संवितरण के लिए प्रस्तुत किया जाये; और उस धन के संबंध में भी जो उनको सरकारी लेखा में जमा करने के लिए दिए जा सकते हैं, इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

40. राज्य सरकार से संव्यवहार का समायोजन.— राज्य सरकार से सरकार का कोई संव्यवहार सिवाय जो ऐसे संव्यवहार के लेखांकन के लिए प्रक्रिया विनियमित करने के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की सलाह पर लेखा महानियंत्रक द्वारा दिए जाए ऐसे निदेशों के अनुसार सरकार के शेष के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा।

41. पूर्णांकन करना.— सरकारी संव्यवहार में पैसे में रुपये के भाग को निकटतम रुपये में या सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पूर्णांकित किया जाएगा।

42. प्रभाराधिक्य.— सरकार द्वारा किसी मामले में जारी किए जा सकने वाले ऐसे विशेष आदेशों के अध्यक्षीन, प्रभाराधिक्य के लिए उत्तरदायित्व प्रारंभिक रूप से बिल के लेखीवाल के पास होगा और केवल नियंत्रक अधिकारी या पी ए ओ के भाग पर सदोष उपेक्षा की दशा में ही दोनों में से किसी से वसूली के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

43. आक्षेपों और वसूली की संपरीक्षा .— प्रत्येक सरकारी सेवक को पी ए ओ, आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा उसे संसूचित सभी आक्षेपों और आदेशों पर तत्परता से ध्यान देना चाहिए।

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

(i) “आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी” से लेखांकन संगठन के प्रमुख के अधीनस्थ या अधीक्षण के अधीन कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ii) “सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी” से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीनस्थ या अधीक्षण के अधीन कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

(2) जब कोई पी ए ओ अप्राधिकृत रूप में संदाय को अननुज्ञात करता है, तो संवितरण अधिकारी न केवल अननुज्ञात रकम की वसूली के लिए बल्कि भविष्य में संदाय करने से इंकार करने के लिए बाध्य होता है जब तक कि पी ए ओ संदाय को पुनः आरंभ करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता है।

टिप्पण: यदि कोई सरकारी सेवक जिससे वसूली का आदेश दिया गया है, किसी अन्य संवितरण अधिकारी की अधिकारिता में अंतरित कर दिया जाता है, तो वसूली के आदेश अविलंब संवितरण अधिकारी को पारित कर दिए जाएंगे।

(3) वसूली साधारण रूप से वेतन के एक तिहाई से अनधिक की दर पर नहीं की जा सकती है, जब तक कि प्रभावित सरकारी सेवक ने, अधिक प्राप्त करने में, आदेशों के विपरीत या सम्यक् अधिकारिता के बिना कृत्य नहीं किया है या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अग्रिम नहीं लिया है और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रयोजन के लिए यह उपयोजित नहीं किया गया है और नियत तारीख के भीतर बकाया रकम वापस करने में असफल रहा है।

44. विभागीय विनियमों की विरचना के लिए सक्षम प्राधिकारी.— (1) जहां, इन नियमों के उपबंधों के अधीन, किसी मामले की बाबत विस्तृत प्रक्रिया विभागीय विनियमों द्वारा विहित या विनियमित करना अपेक्षित है, विशिष्ट विभागों से संबंधित ऐसे विनियमों को लेखा महानियंत्रक के माध्यम से वित्त मंत्रालय के परामर्श से मंत्रालय या विभाग द्वारा बनाया जाएगा।

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी प्राधिकृत विभागीय विनियमों में अंतर्विष्ट किसी आदेश, अनुदेश या निदेश की विधिमान्यता प्रभावित नहीं करेगी, सिवाय जहां तक कि ऐसा आदेश, अनुदेश, निदेश इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी सुस्पष्ट उपबंध से असंगत या विरुद्ध न हो।

45. शिथिल करने की शक्ति.— सरकार, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन, यदि कोई हो, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को, जो वह ठीक समझे अधिरोपित, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

[फा. सं. टीए-2-03002(01)/1/2020-टीए-II (ई-2106)]

नलिन कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त लेखा महानियंत्रक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2022

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 283 of the Constitution, and in supersession of the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983 and the Treasury Rules of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the custody of the Consolidated Fund of India, the Contingency Fund of India, the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of public moneys other than those credited to such Funds received by or on behalf of the Government of India, their payment into the Public Account of India and the withdrawal of moneys from such Account and other matters related thereto, namely:-

1. Short title, commencement and applicability. – (1) These rules may be called the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to all transactions pertaining to the Central Government Ministries and Departments including Defence, Posts, Telecommunications, Railways, National Capital Territory of Delhi and Union territories without Legislature.

Note: These rules shall be applicable to National Capital Territory of Delhi to the extent of Central Government Account operations.

2. Definitions. —In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "accredited bank" in relation to a Ministry or Department, or Union territory without Legislature means the Reserve Bank or its agent under section 45 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) which is appointed to transact business of the Government pertaining to that Ministry or Department or Union territory without Legislature with the approval of Controller General of Accounts;

(b) "authorised mode for receipts into Government Account" means electronic mode (namely using internet banking, debit or credit cards, Real Time Gross Settlement, National Electronic Fund Transfer or in such other form as recognised by Government) or cheque or demand draft or postal order or money order or cash (namely in coins and notes) or in such other form as may be specified by Government from time to time;

(c) "authorised mode for payments from Government Account" means Payment advice or Cheque or Demand Draft or Postal Order or Money Order or Cash (namely in coins and notes) or in such other form as may be specified by Government from time to time;

(d) "authorised departmental regulations" means regulations made by the Departments of the Government in consultation with the Department of Expenditure, Ministry of Finance;

(e) "bank" means any branch of the State Bank of India acting as the agent of the Reserve Bank in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or any branch of a bank as may be appointed by the Reserve Bank as its agent under the provisions of sub-section (1) of section 45 of the said Act;

(f) "bank account" means an account (drawing, assignment etc.) maintained by the Pay and Accounts Officer or a departmental officer in an accredited bank of a Ministry or Department of Government;

(g) "bill" means a statement of claims by Drawing Officer, either ink signed in physical form or digitally signed in electronic form (*e-bill*) through the designated electronic payment platform used by PAO or DDO of the Ministries or Departments against the Government containing specifications of the nature and amount of the claim for payment;

(h) "Central Pension Accounting Office (CPAO)" means an attached office under the organisation of Controller General of Accounts, responsible for payment and accounting of pensions through authorised banks in respect of employees retired from Central Government Ministries or Departments (except Railways, Posts and Defence), National Capital Territory of Delhi, Union territories without Legislature, Former Members of Parliament, retired Judges of the Supreme Court and the High Courts, All India Service Officers, pension and other amenities to the former Presidents and Vice-Presidents of India, freedom fighters and pension or family pension to the pensioners covered under National Pension System and entrusted with the responsibility of administering the "Scheme for Payment of Pensions to Central Government Civil Pensioners by Authorised Banks";

(i) "Central Treasury" means and includes any treasury or sub-treasury and treasuries in Union territories without Legislature other than a treasury or sub-treasury under control of a State Government;

Note: Central Treasury is in operation at Union territory of Chandigarh, the cash business of which is conducted by the bank;

(j) "challan" means a document maintained for the purpose of account for the receipt transactions, either ink signed in physical form or such other form including electronic form (*e-challan*) as recognised by Government containing the particulars of the person who remit the amount to Government, head of account, etc.;

(k) "Cheque Drawing and Disbursing Officer (CDDO)" means a drawing and disbursing officer (DDO) functioning under a Ministry or Department (including Central Public Works Department, Forest Department and departments in which the provisions of Central Public Works Account Code are authorised to be followed) or a Union territory without Legislature, is authorised to withdraw money for specified types of payments against an assignment issued by respective PAO in an assignment account opened in favour of Cheque Drawing and Disbursing Officer in specified branch of an accredited bank;

(l) "claim" means a statement of claims by a claimant (Government servants or suppliers of goods or services) either ink signed in physical form or digitally signed in electronic form (*e-claim*) or in such other form as recognised by Government through the designated electronic payment platform used by PAO or DDO of the Ministries or Departments, against the Government containing specifications of the nature and amount of the claim for payment;

- (m) “competent authority” means the Government or any other authority to whom the relevant power may be delegated by that Government;
- (n) “Comptroller and Auditor-General (CAG)” means the Comptroller and Auditor-General of India appointed under article 148 of the Constitution ;
- (o) “Consolidated Fund” means the Consolidated Fund of India as referred to in clause (1) of article 266 of the Constitution ;
- (p) “Contingency Fund” means the Contingency Fund of India established under the Contingency Fund of India Act, 1950(49 of 1950);
- (q) “Controller General of Accounts (CGA)” means the Controller General of Accounts in the Ministry of Finance, Department of Expenditure who is responsible for consolidation of monthly accounts, preparation of annual accounts of the Government, establishing and maintaining a technically sound payment-cum-accounting system in the departmentalised accounts offices and for specifying the rules for regulating the custody, payment into and withdrawal of money from the Government Account and also the Principal Adviser on the accounting matters to the Government and responsible for exchequer control, internal audit and for technically sound management accounting system;
- (r) “departmental officer” means an officer of the Government authorised to handle Government money;
- (s) “Drawing and Disbursing Officer (DDO)” means a Head of office and also any other Gazetted officer so designated by a Department of the Government, a Head of Department or an administrator, to draw bills and make payments on behalf of the Government;
- (t) “Government” means the Central Government and the Union territories without Legislature;
- (u) “Government Account” means the account relating to the Consolidated Fund, the Contingency Fund and the Public Account;
- (v) “Head of Accounting Organisation” means an officer of organised Accounts Services functioning as the Head of Accounting Organisation of the Ministry or Department under the Scheme of Departmentalisation of Accounts;
- (w) “Pay and Accounts Officer (PAO)” means an officer of Accounting Organisation of a Ministry or Department or Union territory without Legislature functioning under the scheme of Departmentalisation of Accounts who is responsible for receipts, payments including Direct Benefit Transfer, bank coordination including Treasury Single Account(TSA) system, internal audit and accounting functions of an office or Department or Ministry as assigned by the Government;
- (x) “Payment advice” means the instructions issued to the Reserve Bank or to the accredited bank for direct credit through authorised mode, either electronically or otherwise of a specified amount to the specified bank account of the payee;
- (y) “payment scroll” means a statement either ink signed in physical form or such other form including electronic form (*e-payment scroll*) as recognised by Government, of payment claimed by the bank of a Ministry or Department from the Government Account at Reserve Bank ;
- (z) “Principal Accounts Officer” means an officer of Accounting Organisation of a Ministry or Department or Union territory without Legislature functioning under the scheme of Departmentalisation of Accounts who is responsible for administering and coordinating receipts, payments, internal audit and accounting functions of all the Pay and Accounts Offices of a Ministry or Department falling under his or her accounting jurisdiction;
- (aa) “public account” means the public account of India referred to in clause (2) of article 266 of the Constitution;
- (ab) “Personal Deposit Account” is an account which is authorised to be opened in the public account portion of Government Account in an accredited bank with the approval of Controller General of Accounts in Central Civil Ministries and Departments and approval of competent authority in Railways, Post and Defence, intended to facilitate the designated officer to credit receipts into and effect withdrawals directly from the account, subject to overall check being exercised by the designated officer and also by the bank;

(ac) “public debt” means Government borrowing from internal and external sources;

(ad) “receipt scroll” means a statement either ink signed in physical form or in such other form including electronic form (*e*-receipt scroll) as recognised by Government, of receipts received and remitted by the accredited bank or agency bank of a Ministry or Department to the Government Account at Reserve Bank ;

(ae) “Reserve Bank” means any office or branch of the Banking Department of the Reserve Bank of India constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(af) “Subsidiary Instructions” means the detailed procedure of receipts and payments, containing forms as specified by the Controller General of Accounts with approval of Secretary, Department of Expenditure, as amended from time to time;

(ag) “withdrawal” means the withdrawal of funds from the Government Account for disbursements of or on behalf of Government;

(ah) “working day” for the purpose of disbursement of salary means a day on which the Government office and the bank both are open for transacting their respective ordinary business.

3. Location of moneys credited to Government Account.— Except as otherwise provided, moneys credited to the Government Account shall be held either,—

(a) in the Reserve Bank; or

(b) in a bank for the time period specified by the Reserve Bank to transact Government business.

4. Payment of Government dues and tax receipts.—Money due to Government may be deposited by the public directly in authorised bank through authorised mode in accordance with the procedure and the form of challan specified in the Subsidiary Instructions.

5. Acceptance of revenues, etc., by Government.— (1) Government revenues, dues or other moneys receivable in the Government Account shall generally be received through authorised mode by the PAO or by the authorised departmental officer in accordance with the departmental regulations or by the authorised bank:

Provided that Government dues which are payable by a due date, the person desirous to make payments by means of electronic mode or cheque or demand draft must ensure that online payment or cheque or demand draft reaches the bank or the departmental officer concerned well before the due date so that the amount can be credited to Government Account by due date:

Provided further that all receipts exceeding the monetary limits shall be remitted to Government Account through electronic mode only (*e*-mode), as may be specified from time to time by the Controller General of Accounts:

Provided further that in case of technical glitches or server related issues for remitting money through *e*-mode and confirmed by the concerned Division or Department or for remote area where *e*-mode may not be functional, all receipts irrespective of monetary limits shall be remitted by other authorised mode for receipts into the Government Account.

(2) Unless specially authorised to receive higher amounts in cash, departmental officers and bank shall receive cash upto an amount not exceeding the ceiling fixed by the Government from time to time in each case.

(3) Government office situated in foreign country including Mission or Post shall receive Government moneys in foreign currencies either in cash or by any other mode as recognised by the respective foreign country.

(4) Government office situated in foreign country including Mission or Post, on the special recommendation by the Government, shall accept moneys in foreign currency on behalf of State Governments, non-Government organisations, autonomous bodies, Public Sector Undertakings, private bodies and educational institutions, etc. either in cash or by any other mode as recognised by the respective foreign country and pass on the same to the concerned State Government or organisation in India by way of cash settlement or book adjustment, as the case may be, provided that no loss is incurred to the Government in rendering services to these outside agencies.

(5) Subject to the general procedure specified in these rules, the detailed procedure to be adopted by Government officers in any department of the Government and banks in receiving moneys on account of Government revenues or dues, its realisation and granting of receipts for the money realised and bringing them in the Government Accounts shall be as specified in the Subsidiary Instructions.

6. Deposit of revenue, receipts and dues of Government.— (1) The deposit of revenue, receipts and dues of Government into Government Account shall be carried out by,—

(a) Officers:

(i) All moneys received by the departmental officer or tendered to Government on account of revenues, deposit, remittances, receipts, dues or otherwise shall be deposited in the accredited bank without any delay for inclusion in the Government Account.

(ii) It is the sole responsibility of the departmental officer to ensure deposit of such money indicating correct Head of Account in consultation with PAO or the Principal Account Office, as the case may be.

(iii) Moneys received as aforesaid shall neither be utilised to meet departmental expenditure, except as authorised in item (iv), nor otherwise kept apart from the accounts of the Government.

(iv) Notwithstanding anything contained in clause (a), direct utilisation of departmental receipts for departmental expenditure in specific case under special circumstances shall be authorised by the Ministry of Finance through Controller General of Accounts:

Provided that the authority given to utilise money as aforesaid shall not be construed as authority to keep the Departmental receipts and expenses defrayed from there, outside the account of the payments into and withdrawals from the Consolidated Fund or public account, as the case may be.

(b) Banks:

Immediately on receipt of Government revenues, receipts or dues of a department, the bank shall cause them to be credited into the Government Account held by the Reserve Bank in accordance with the procedure specified by the Reserve Bank in consultation with the Head of Accounting Organisation of the concerned department and Controller General of Accounts.

7. Safe custody of Government money.— (1) The bank shall be responsible for the safe custody of Government moneys deposited in the bank.

(2) The custody of moneys held in the hands of Government officers or with authorised officers or in the cash or departmental treasure chests or standing in the Government Account shall be regulated as specified in the Subsidiary Instructions.

8. Presentation of challan.— (1) Except as otherwise provided in these rules or unless the Government directs otherwise in relation to any particular class of transactions, any person or party paying money in the Government Account in a bank under rule 5 shall present with challan.

(2) Except where any other arrangement has been authorised by the Government for the supply of challan forms, printed forms of challan, preferably bi-lingual shall be supplied by the departmental officer or by the bank free of charge.

Note: Receipts relating to direct taxes and indirect taxes shall be credited or remitted by the tax payers into the Reserve Bank and branches of authorised banks or on their portal in accordance with rule 4, using challan forms specifically specified by the Principal Accounts Office, Central Board of Direct Taxes or Central Board of Indirect taxes and Customs under the provisions of the scheme of revenue collection of these Boards.

9. Issue of acknowledgement and grant of receipts.— (1) The authorised Government officer or the bank shall issue an acknowledgement indicating date, time, stamp against the money received or money realised through cheque or demand draft, to the tenderer.

(2) After realisation of the paid instrument, a receipt or stamped challan or e-challan in case of online payment in bank, as the case may be, shall be given by the authorised Government officer or bank to the tenderer.

(3) No Government officer shall issue duplicate receipts for money received on the ground that the original receipts have been lost.

(4) In case of necessity, a certified or attested photocopy of the office copy shall be provided to the payer on his written request.

10. Date of receipt of Government revenues, dues, etc.,—(1) Government dues tendered in the form of a cheque or demand draft or money order or postal order, which is accepted and honoured on presentation, shall be deemed to have been paid,-

(a) where the cheque or demand draft or postal order is tendered to the bank or post office, on the date on which it was cleared and entered in the receipt scroll;

(b) where a cheque or demand draft or postal order is tendered to a departmental officer (in cases where such tendering is permissible or required under departmental provisions), on the third working day after its presentation;

(c) if the money is paid by post and sent by post in pursuance of instructions to make payment by post, on the date on which the cover containing it is put into the post;

(d) if the money is paid by postal money order or any other recognised mode of remitting money by post in pursuance of instructions of the Government, on the date on which the money order is put into the post:

Provided that, where a cheque or draft is marked as not payable before a certain date, the payment shall not be deemed to have been made until the date on which it becomes payable.

(2) The Government revenues, dues etc., paid through electronic mode shall be deemed to have been paid to the Government on the date, it is received and entered in the receipt scroll by the bank of the department for crediting the money to the Government Account at the Reserve Bank.

(3) The period of delay for claiming penal interest from the authorised bank shall be calculated from the date of realisation of cheque or demand draft to the date prior to the day of the put through to Reserve Bank.

Explanation.— For the purposes of this rule, ‘put through’ refers to the credit of the amount into Government Account in the Reserve Bank.

11. Procedure to be adopted by Department of Government.— The detailed procedure to be adopted in any particular Department of the Government with regard to the realisation of Government dues and granting of receipts for the money realised shall be framed in consultation with Controller General of Accounts, Department of Expenditure.

12. Extent of responsibility of Reserve Bank and bank.— (1) Nothing contained in, or in the application of these rules shall have effect so as to impose upon the Reserve Bank in connection with the business of the Government any responsibility not imposed upon it by the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

(2) The bank shall be kept open for the conduct of Government transactions on a recognised holiday, or beyond normal business hours on any day (e.g. on the last working day of March every year), if so required by the Controller General of Accounts, or by any authority or authorities so nominated.

13. Withdrawal of money from Government Account.— (1) Except as otherwise provided in these rules, or unless the Government otherwise specifies in any case, the PAO shall be the authority for withdrawal of money from Government Account.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Controller General of Accounts, subject to certain conditions and on the advice of the Head of Accounting Organisation, may designate a Gazetted officer of an office or Ministry or Department, as Cheque Drawing and Disbursing Officer (CDDO) for withdrawal of money for specified purpose.

(3) The CDDO shall withdraw money and submit the details thereof, accounts and other records as specified by Controller General of Accounts to the concerned PAO.

(4) As regards non-civil Ministries or Departments, CDDO shall be designated by the concerned Ministry or Department on the advice of the Head of Accounting Organisation.

(5) Except as otherwise provided in these rules, or unless the Government otherwise directs in any case, moneys shall not be withdrawn from the Government Account other than through authorised mode for payment from Government Account by a PAO from an account opened in favour of the PAO, or by a CDDO from an assignment account opened in favour of the CDDO at a specified branch of the accredited bank.

(6) (a) In so far as civil Ministries or Departments are concerned, the bank accounts in favour of PAO and CDDO shall be opened by the Head of Accounting Organisation of the Ministry or Department in consultation with the Controller General of Accounts.

(b) As regards non-civil Ministries or Departments, the bank accounts shall be opened with the approval of competent authority of the concerned Ministry or Department.

(7) The bank account in favour of a Government office including Mission or Post situated in a foreign country for the purpose of withdrawal in Indian rupees shall be opened in India in the accredited bank of the concerned Ministry or Department under the orders of the Head of Accounting Organisation.

(8)(a) The Government office including Mission or Post situated in a foreign country shall be permitted to withdraw money from Government Account in foreign currencies and shall be opened by the Head of Office or Mission or Post in consultation with Controller General of Accounts through the Head of Accounting Organisation.

(b) The respective Ministry or Department shall arrange to remit foreign currency to such accounts from India through its bank by issuing an advice to its bank.

(c) The Ministry or Department shall arrange payment in foreign currency from India to a Government office or Mission or Post or foreign Government or a foreign organisation or agency situated in a foreign country by issuing an advice to its bank.

(d) On receipt of advice, the bank shall arrange to remit the requisite foreign currency to the payee and claim the equivalent value in Indian rupees, including incidentals and overhead expenses, etc., as agreed to by Head of Accounting Organisation of the concerned Ministry or Department, directly through the payment scroll of the day being submitted to the PAO of the Ministry or Department.

(e) Based on the payment scroll received from the bank, the PAO shall account for the expenditure under the respective functional head of accounts.

(9) (a) The Ministry or Department concerned in consultation with the Controller General of Accounts may, only under special order or permission, authorise the opening of Personal Deposit Account in the Public Account portion of Government Account and the Ministry or Department shall maintain the list of such Personal Deposit Accounts opened under their control and comply the detailed procedure as specified in the Subsidiary Instructions.

(b) Personal Deposit Accounts are generally authorised to be opened in the following types of cases, namely: -

(i) in favour of an administrator appointed for the purpose of administering moneys tendered by or on behalf of ward and attached estates and estates under Government management and ensure that proper arrangements are made for the maintenance and audit of connected initial accounts;

(ii) in relation to Civil and Criminal Courts' deposits, in favour of the Chief Judicial authority concerned;

(iii) where, under certain regulatory activities of the Government, receipts are realised and credited to a Fund or Account under the provisions of an Act to be utilised towards expenditure thereunder and no outgo from the Consolidated Fund is involved;

(iv) where a personal deposit account is required to be created by a law or rules having the force of law and certain liabilities devolve on the Government out of the Special enactments;

(v) officers commanding units and others concerned in the administration of public funds or regimental funds in the Defence Departments:

Provided that regimental funds may, under authorised departmental regulations be deposited outside the Government Account with any branch of the accredited bank.

(10) (a) A Personal Deposit Account of a type other than specified in items (i), (ii) and (v) of clause (b) of sub-rule (9), may be opened only under the special order or permission of the Ministry or Department concerned with the approval of Controller General of Accounts on the recommendations of the Head of Accounting Organisation.

(b) Such special order or permission may be issued or granted by the Ministry or Department concerned after satisfying itself that the initial accounts of the moneys to be held in a Personal Deposit Account and disbursed, are maintained properly and are subject to audit.

(11) Every Personal Deposit Account shall form part of the Government Account and be located in the Public Account portion thereof and the detailed procedure to be observed by a Government Officer in regard to opening, operation, reconciliation of Personal Deposit Account shall be as specified in the Subsidiary Instructions.

(12) The PAO or the CDDO shall obtain sufficient information as to the nature of every payment he is making and shall not accept a claim which does not formally present that information, unless there are specific orders of Government against disclosure of the nature, on any individual claim or type of claims in the public interest.

(13)(a) Subject to the general procedure specified in these rules, the detailed procedure to be adopted by Government officer in any Department of the Government for withdrawal of money from Government Account, presentation of claims for payment, modes of payment and banking arrangement shall be as specified in the Subsidiary Instructions.

(b) The systems and procedures established under the Subsidiary Instructions, are subject to general or special instructions or orders, which the Controller General of Accounts, Department of Expenditure, Ministry of Finance may issue from time to time.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “non-civil Ministries or Departments” means the Ministries or Departments of Railways, Defence, Posts and Telecommunications.

14. Modes of withdrawals and payments from Government Account.— (1) Except as otherwise provided in these rules or unless the Government otherwise directs in any case, no withdrawal of money shall be made from the Government Account except by presentation of a bill in support of relevant claim for the purpose in the form and procedure as specified in the Subsidiary Instructions.

(2) A bill duly passed and paid by the PAO or the CDDO containing full particulars of payment indicated by the payee and authenticated by the DDO becomes “payment voucher or e-payment vouchers”.

(3) The supporting documents attached with the claim or e-claim for example invoice, cash memos and demand bill from the Telephone Department or State Electricity Board or local body for electricity, telephone and water charges, in support of relevant claim becomes sub-vouchers.

(4) Payments to the suppliers or vendors for work done or service rendered or articles supplied, grantee, loanee institutions, autonomous bodies, State and Union territory Government shall be made by any authorised mode for payment from Government Account at the request and expense of the payee concerned:

Provided that all payments exceeding the monetary limits, shall be through Payment advices only.

(5) All payments to Government servant including salary shall be made by Payment advices for direct credit to their bank accounts or Post Office Savings Bank Accounts, subject to availability of banking facilities or at Post Offices:

Provided that relaxation may be granted by the competent authority for payment by cash in cases of,-

- (i) hardship, where the reasons are duly approved by Head of Department in consultation with Head of Accounting Organisation; and
- (ii) for operationalisation of a policy decision for implementing specific nature of operation or programmes or schemes where details of payments are not to be disclosed.

(6) Acquittance for the payments made in cash to the Government servants shall be obtained as specified in the Subsidiary Instructions.

(7) In case of death of a Government servant, pay and allowances shall be drawn for the day (calendar day beginning and ending at midnight) of the Government servant's death; irrespective of the hour at which death takes place.

15. Place of payment.— The place of payment shall be decided by the DDO and payment shall be made through the authorised mode.

16. Period of validity of cheque or refund order.— (1) Unless otherwise provided by any law, rule or departmental regulations, a cheque issued in India for making payment or a refund order issued for refund of revenue under these rules shall be valid for three months from the date of issue.

(2) No payment shall be made thereafter unless fresh cheque or refund order is issued by the sanctioning authority.

(3) In case of a foreign cheque, the period of validity of such cheque shall be determined according to the laws applicable in that country.

17. Date of payment.— (1) Wherever the payment is arranged by PAO or CDDO by issuing digitally signed Payment advice for direct credit of the amount to the bank account of the payee, the date on which such advice is successfully uploaded on the payment gateway of the bank or the due date mentioned in Payment advice, whichever is later, shall be reckoned as the date of payment.

(2) Wherever the payment is arranged by PAO or CDDO by issuing a Payment advice other than digitally signed advice for direct credit of the amount to the bank account of the payee, the date of payment shall be reckoned as the date on which such advice is handed over to the bank or the date mentioned in the Payment advice, whichever is later.

(3) Wherever the payment is arranged through the Reserve Bank by issue of RBI advice, the date of payment shall be reckoned as the date indicated against the relevant entry in the payment scroll rendered by the Reserve Bank.

(4) Whenever the payment from India is arranged in foreign currency to a payee in foreign country by issue of an advice to the bank, the date of payment shall be reckoned as the date on which the foreign currency is remitted and equivalent amount is entered in the payment scroll by the bank.

(5) Wherever the payment is made by Government by postal money order or by any other recognised mode of remitting money by post, the date of payment shall be reckoned as having been made on the date on which the receipt for the money is issued by the post office.

(6) Wherever the payment is made by cash, the date on which the cash is paid shall be reckoned as the date of payment.

(7) Without prejudice to the provisions of rule 14 of the Compendium of Rules on Advances, the date of payment when payment is made by a cheque shall be reckoned as,—

(a) bank's working day next to the date of the cheque, if the cheque is handed over to the payee or to the authorised messenger of the employee and it does not bear the superscription for payment on a specific date;

(b) the specific date superscribed on the cheque, if the cheque is handed over to the payee or to the authorised messenger of the employee and the cheque bears superscription for payment on a specific date; and

(c) the date on which the cover containing the cheque is put into the post or the specific date, if it bears superscription for payment on a specific date, whichever is later, as the case may be, if the cheque is posted to the payee in pursuance of a request for sending it by post.

(8) Wherever payment is arranged by means of a bank draft to a payee, the date of payment will be reckoned as,—

(a) date on which it is handed over to the payee or the authorised person of the employee or the specific date superscribed, whichever is later; or

(b) if it is posted to the payee, the date on which the cover containing draft is put into the post or the said specific date, whichever is later, as the case may be.

18. Claim for payment.— A Government officer entrusted with the payment of money shall obtain for every claim, full and clear particulars of the claim and all necessary information for its proper classification and identification in the account, including repayment of sums previously lodged with the Government.

19. Responsibility for money withdrawn.— (1) If a CDDO receives information from the PAO that moneys have been incorrectly withdrawn and that a certain sum should be recovered in respect of any bill passed, its recovery shall be effected without any delay and without regard to any correspondence undertaken or contemplated with reference to the retrenchment order; and remit the sum to the Government Account in such manner as the PAO may direct.

(2) In case of excess payment or incorrect withdrawal made by the PAO, its recovery shall be effected by PAO through departmental officer without delay and any correspondence undertaken or contemplated with reference to the retrenchment order; and remit the sum to the Government Account.

(3) (a) A Government officer assigned with funds for expenditure shall be responsible for such funds until an account of them has been rendered to the satisfaction of the PAO concerned.

(b) He shall also be responsible for seeing that payments are made to persons entitled to receive them.

(4) If any doubt arises as to the identity of the Government officer by whom an account of such funds shall be rendered, it shall be decided by the authorised departmental regulations.

20. Maintenance of cash book.— Except as otherwise provided in these rules or in any authorised departmental regulations, all Government officers (referred to in this rule as the Head of the Office) shall maintain a cash book for recording all monetary transactions as per the format and procedure specified in the Subsidiary Instructions.

21. Bar against money withdrawn from Government Account.— A Government officer shall not deposit moneys withdrawn from the Government Account under rule 14, in a bank account other than that maintained with the accredited bank, unless specially permitted by the Government.

22. Refund of revenue.— (1) All sanctions to refund of revenue (tax or non-tax) shall be regulated by the orders of an administrator or of the departmental authority, as the case may be, and the bills shall be prepared against the sanction.

(2) Refunds of revenue can be drawn only on the demands and on the receipt of the person entitled to receive such refund after production of proper authority.

(3) Refunds of direct taxes and indirect taxes shall be regulated in accordance with the departmental instructions issued by Central Board of Direct Taxes (CBDT) and Central Board of Indirect taxes and Customs (CBIC), respectively.

(4) Remissions of revenue allowed before collection are to be treated as reduction of demands and not as refund and similarly, refunds of revenue are not regarded as expenditure for purposes of grants or appropriations.

23. Loans and advances.— (1) All loans to State Governments, Administrations of Union territories, local bodies, foreign Government on specific recommendation of State Government, Government institutions and other Government bodies shall be regulated by the following general conditions contained in the General Financial Rules, 2017, namely :-

(a) a specific term shall be fixed within which each loan has to be fully repaid with interest due and in very special cases, the term may extend to thirty years;

(b) the term is to be calculated from the date on which the loan is completely drawn or declared by competent authority to be closed;

(c) the repayment of loans shall be effected by installments, fixed on annual basis, with due dates of payment being specially prescribed;

(d) if an installment is paid before its due date, it may be taken entirely towards the principal, provided it is accompanied by payment towards interest due up-to-date of actual payment of installment; if not, the amount of the installment shall first be adjusted towards the interest due for preceding and current periods and the balance, if any, shall be applied towards the principal;

(e) when the due date of repayment of any installment of principal or interest falls on a Sunday or a public holiday or a holiday observed by the Reserve Bank, the payment made on the next working day following the Sunday or the public holiday, shall be regarded as payment on the due date and no interest shall be charged for the day or days by which the recovery is so postponed:

Provided that if an installment of principal or interest is payable on the thirty-first March of a year, and if that day happens to be a public holiday or as aforesaid, the recoveries shall be made on the immediately preceding working day;

(f) the payment of interest and the repayment of principal of a loan shall be made with reference to the calendar date on which the loan in question is paid and where payment of installment is in advance of the due date by fourteen days or less, interest for the full year or half year (depending on the prescribed mode of recovery) shall be charged thereon;

(g) in the case of a loan sanctioned by the Central Government to a State Government on or before thirty-first March of a year, which is adjusted in the books of the Reserve Bank in the month of April but in the

accounts of the previous year, the installment of principal and/or interest shall fall due for payment on the thirty first March of the succeeding year and not on the anniversaries of the calendar date in April on which the inter-Governmental adjustment was carried out.

(2) The date of drawal of a loan by a State Government shall be determined as indicated below,—

(a) where monetary settlement is involved,—

(i) normally the calendar date on which amount of a loan is actually credited to the account of the State Government by the Reserve Bank is to be treated as the date of its drawal;

(ii) this position shall also hold in cases where adjustment in accounts is made in one month but date of adjustment in the books of the Reserve Bank falls in the following calendar month;

(iii) the calendar date on which the credit is actually afforded to the State Government in the books of the Reserve Bank in such cases shall be treated as the date of its drawal:

Provided that in the case of loans for which credit is afforded to the recipient State Government in the month of April by the Reserve Bank but in the accounts of previous year, a loan shall be deemed to have been paid on the thirty-first March of the financial year in the accounts for which the payment is adjusted:

Provided further that payment of annual interest as also repayment of instalment of principal in respect of such loans shall fall due on the thirty-first March of the succeeding years and not on the anniversaries of the calendar date in April on which inter- Governmental adjustment on account of such loans was carried out in the books of the Reserve Bank;

(b) where monetary settlement is not involved.—with regard to cases where adjustment in the books of the accounts offices are involved only and actual credit through the Reserve Bank is not necessary, the last date of the month of account in which the adjustment is effected shall be taken as the date of drawal of loan for purposes of repayment and charging interest.

(3) In order to avoid any default in the payment of loan, the Principal Accounts Officers or Pay and Accounts Officers who maintain the detailed accounts of loans, shall issue notices in Form GFR-19 to the loanees (other than State and Union territory Governments) i.e. Public Sector Undertakings, statutory bodies and Government institutions, a month in advance of the due date for the repayment of any installment of the principal and or interest thereon:

Provided that omission to give notice does not give the loanees any claim to exemption from the consequences of default in the repayment of the principal and or interest thereon.

Note 1: The bills for loans and advances of different classes, which are granted by Central Government except in so far as they are governed by any special rules (e.g. loans of public moneys to State Governments, local administration of Union territories, local bodies, foreign Governments on specific recommendations of State Government, Government institutions and other Government bodies) issued by Government or contained in other part of these rules or in any authorised departmental regulations shall be drawn by the drawing officer of the office of the authorities sanctioning payment of loan or advance similar to bill format for release of Grants-in-aid.

Note 2: The bill shall be supported by a copy of sanction for such payment.

Note 3: If the amount repaid includes interest as well as principal, the interest must be separately specified.

Note 4: If the repayment is a fixed periodical amount, including both interest and principal, the orders fixing the amount shall be quoted.

(4) The special procedure for drawing of revenue advances which include takavi advances, advances under the Land Improvement Acts and any other advances which Revenue Officers are allowed or directed to make under the provisions of any law or under special order of the Government, shall be as specified in the Subsidiary Instructions.

Explanation.— Takavi works advances (ie. an advance to cultivators) in the form of expenditure on Takavi works in the Public Works Department are regulated by the departmental rules, except where the estimated cost of such works are recovered in the Public Works Department, recoveries of such advances shall be made by the Collector in the same way as arrears of land revenue.

(5) (a) Advances granted under special orders of competent authority to Government officers for departmental or allied purposes may be drawn on the responsibility and receipt of the officer for whom they are sanctioned, subject to adjustment by submission of detailed accounts supported by vouchers or by refund within the period specified by Controller General of Accounts;

(b) in case of advances for survey and other departmental expenditure, which are ultimately recoverable from private owners or other parties, the duties such as maintaining detailed accounts of the advances, of watching their recoveries and of supervision, shall rest with the departmental authorities concerned, the PAO being responsible only for maintaining a plus and minus memorandum, where necessary, in accordance with the orders of the Government.

(6) The detailed procedure to be followed in connection with the grant of loans to local bodies shall be regulated by the provisions of the Local Authorities Loans Act, 1914 (9 of 1914) and other Acts in force in India and rules made thereunder.

24. Interest on loans.— (1) Interest shall be charged at the rate notified by the Government for any particular loan or for the class of loans concerned.

(2) A loan shall bear interest for the day of payment but not for the day of repayment.

(3) Interest for any shorter period than a complete year shall be calculated as under,-

Number of days x yearly rate of interest

365 (366 in case of a leap year),

unless any other method of calculation is specified in any particular case or class of cases.

25. Public debt, provident funds, deposits, etc.,—(1) Public debt means Government borrowings from internal sources *viz.* market loans, treasury bills, National Savings Certificate and Post Office Savings Deposits, etc. and external sources *viz.* loans from foreign countries or institutions, etc.,

(2) The internal public debt raised by Government by issue of securities shall be managed by Reserve Bank and as per the guidelines of the Government.

(3) Payment of cheques including Public Debt Office Interest Warrants governed by the Negotiable Instrument Act, 1881 (26 of 1881), shall be made in accordance with the provisions of that Act and any generally recognised practice established among bankers.

(4) The procedures to be followed by public debt officers of Reserve Bank in making payment in respect of principal of market loans, sale and discharge of treasury bills and interest thereon when they fall due shall be governed by the provisions contained in Government Securities Manual and Supplementary instructions or regulations, if any, issued by the Government.

(5) Treasury bills can only be paid on maturity at the office of the bank from which they were issued.

(6) After payment, the discharge bills shall be treated in the same way as other paid vouchers.

(7) The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance shall execute the agreement for loan or grant from external funding agencies and a copy of such agreement shall be sent to office of the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs which is responsible for receipt, payment and accounting in accordance with the procedure prescribed in Chapter 10 of General Financial Rules, 2017.

(8) The procedure to be followed by post offices in respect of the custody, issue and discharge of National Savings Certificates, Post Office Saving Bank Deposits, Time Deposits, Recurring Deposits shall be specified by Budget Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

Note: The conditions under which National Savings Certificates of different denominations are issued and discharged, the maximum limits of investment, the interest which accrues on them, and other matters connected therewith are regulated by special instructions issued by the Government.

(9) Recovery of subscription to a provident fund of the Government and advances and withdrawals from such fund shall be strictly in accordance with the procedure prescribed in the relevant rules of the fund.

(10) Premia or subscription to the Post Office Insurance Fund shall be recovered strictly in accordance with the procedure prescribed in the rules of the fund.

(11) Monthly subscriptions recoverable from members of Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) shall be deducted from pay bills and amount payable to members or nominees of deceased members arising under the said scheme or rules or procedure shall be as prescribed by the Government, as the case may be.

(12) Moneys received for deposit in the Government Account shall be classified under suitable heads of account appearing under two broad categories of 'Deposits bearing interest' and 'Deposits not bearing interest' under Public Account and comply the procedure as specified by the Government.

(13) Refund of deposit shall be made only on receipt of application received from applicant entitled to receive such refund.

26. Government guarantees.— (1) A Government guarantee is an arrangement in which a Government entity undertakes payment of a debt or performance of an obligation in the event of a default by the primary creditor.

(2) The power of the Government to give guarantee emanates from and is subject to such limits as may be fixed in terms of article 292 of the Constitution, the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (39 of 2003) and the rules framed thereunder.

(3) The Ministries or departments shall levy guarantee fee on the amount outstanding at the beginning of guarantee year as per the rate notified by the Budget Division and take necessary steps to ensure prompt recovery of the prescribed fee.

27. Pension payments.—(1) Except as otherwise provided, these rules shall regulate the procedure with regard to the payment, in or outside India, of all pensions payable out of the Consolidated Fund:

Provided that if in any State, a different procedure has been prescribed for the payment of State pensions, the same procedure may, unless there are any general or special orders of the Government to the contrary, be applied in the making of payments at a treasury of that State of any pension payable out of the Consolidated Fund:

Provided further that on the commencement of these rules, Treasury Rules of the Central Government relating to pension payments, regulation or order including Office Memorandum in force immediately before such commencement shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these rules, cease to operate.

(2) Nothing contained in this rule shall be taken as affecting—

(a) the provisions of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871), or any rules made there under, or the exercise by the State Governments of such functions of the Central Government under that Act, as may be entrusted to them in consequence of a delegation of function under clause (1) of article 258 of the Constitution;

(b) the provisions of any rule contained in the Central Civil Services (Pensions) Rules, 2021, or of any departmental regulations issued by, or under the authority of, the President prescribing the procedure for the payment of any pension payable out of the Consolidated Fund of India;

(c) the procedures and conditions specified in special orders issued by the Government from time to time for payments, by authorised banks on behalf of the Government pension payable out of the Consolidated Fund of India.

(3) (a) Pension payment procedure of following Central Government Civil pensioners and other pensioners, shall be laid down by the Controller General of Accounts based on extant departmental rules, as under: -

(i) pension and other amenities to the former Presidents and Vice-Presidents of India including payment of medical expenses and travel expenses towards medical check-up of the spouse of the former and deceased Presidents and Vice-Presidents;

(ii) former Members of Parliament;

(iii) retired judges of Supreme Court;

(iv) retired judges of High Courts;

(v) all India Service Officers w.e.f 01.04.2008

- (vi) all pensioners of Central Government retiring from Civil Ministries or Departments including Comptroller & Auditor General or State Accountants General and Indian Audit & Accounts Departments;
- (vii) all pensioners of Union territory administrations without Legislatures, National Capital Territory of Delhi (as an interim arrangement);
- (viii) ex-gratia pension to families of deceased Contributory Provident Fund beneficiaries w.e.f. 1.1.1986;
- (ix) freedom fighter pensioners i.e. Swatantrata Sainik Samman Yojna;
- (x) Divisional Accountants or Divisional Accounts Officers of the State Accountants General;
- (xi) pensions to leaders and trainees including volunteer Girls and Tibetan Female Nursing Assistants of Special Frontier Force w.e.f. 1.1.2009.
- (4) The payment of pensions to the pensioners of Railways, Posts, Telecommunications and Defence, in or outside India, shall be regulated by the procedure prescribed by that Ministries and departments.
- (5) The payment of pension under these rules shall not be admissible to the employees of the Government (except Armed Forces) who have joined service on or after 1.1.2004 and shall be covered under National Pension System (NPS).
- (6) The payment of pension or family pension shall be admissible in case of death or disability of Government employees covered under NPS as per the provisions contained in Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 and guidelines issued by the Government from time to time.
- (7) Unless there is anything repugnant in the subject or context, the procedure with regard to the payment of pension at any authorised bank or other office of disbursement of pensions payable by the Government on behalf of, or as an agent of, a foreign Government, local fund or any other authority shall be regulated by the procedure prescribed by the Controller General of Accounts.
- (8) Pensions or any other sums payable in respect of contributions to a family pension fund, and any sums payable under the Employees' Compensation Act, 1923 (8 of 1923) are not covered in these rules.
- 28. Place of payment of pension.**—(1) Subject as hereinafter provided, service or political pensions payable in India may be drawn from any of the channels such as the authorised bank (as per the Scheme of Payment of Pensions for Central Civil Pensioners through authorised banks) or treasury or Pay and Accounts Office which was responsible for the payment of last dues or Accountants General subject to such conditions as may be laid down by the Controller General of Accounts.
- Explanation.**— For the purposes of this rule,—
- (i) “service pension” means a pension including provisional pension payable to, or in respect of, a person in consideration of past employment under the Government or the Government of a State, either before or after the commencement of the Constitution, and includes a gratuity so payable.
- (ii) “political pension” means a pension not being a service pension granted or customarily payable to or in respect of a person, on political consideration or compassionate grounds or in consideration of distinguished or meritorious services or on the surrender of rights or emoluments, and includes assignments or compensations payable in the form of fixed allowances or grants;
- (2) Pension to ex-servicemen of Assam Rifles may be disbursed through banks or sub-post office at Vijay Nagar in Arunachal Pradesh.
- (3) Pension to the pensioners residing in Nepal shall be disbursed through Embassy of India, Kathmandu (Nepal).
- (4) Pension to the following Indian National foreign pensioners shall be disbursed in India, namely: -
- Burma Civilian Pensioners and Family Pensioners;
 - Singapore Pensioners;
 - Sri Lanka Pensioners;
 - Pakistan Civil Pensioners and Family Pensioners.

(5) Pensioners who retire from the Department of Posts may, on the basis of their option, draw their pension either through the Public Sector Banks or from authorised Post Office in India.

(6) (a) Pensions due to pensioners of defence services may be disbursed by any one of the following agencies;

- (i) treasury officers; or
- (ii) pension paymasters; or
- (iii) such Post Offices as may be nominated in this behalf by the Department of Posts; or
- (iv) authorized Public Sector Banks or Private Sector Banks;

(b) Pensions of railway pensioners may be disbursed by any one of the agencies specified in items (i), (iii), or (iv) of clause (a).

29. Pension payment order and mode of payment.— (1) Except in the case of defence pensions which are payable on pension certificate or other authority issued by Controller General of Defence Accounts or in the case of railway pension which are payable on Pension Payment Order issued by the Railway Accounts Officer and Department of Posts or in the case of payment of provisional pension by the Head of Office or unless the Government otherwise order in the case of any particular class of pensions, payment of pensions may be made only upon Pension Payment Order either in ink signed in physical form or digitally signed in electronic form issued by the PAO concerned.

Note1: PAOs who are competent to issue Pension Payment Orders to various categories of pensioners of Ministries or Departments except Ministry of Railways, Defence and Department of Posts shall issue Pension Payment Order in electronic form (*e*-PPO) using their digital signature through the designated electronic payment platform used by PAO of the Ministries or Departments.

Note 2: The procedure for processing of such *e*-Pension Payment Orders and other related instructions shall be issued by office of Controller General of Accounts and Central Pension Accounting Office.

(2) Central Pension Accounting Office shall maintain a central data bank in respect of all the Pension Payment Orders issued by the Central Civil Ministries or Departments from time to time.

(3) The nominated PAO of the Central Pension Accounting Office shall be responsible for forwarding the Pension Payment Orders with special seal authorities or *e*-PPO to authorised banks for disbursement of pension.

(4) Subject to the general procedure prescribed in these rules, the regulations or detailed procedure for disbursement of pension and family pension by Pension Disbursing Authorities (PDA) shall be as specified in the Subsidiary Instructions.

(5) An authorised bank shall make the payment of pension in the pensioners account as prescribed in the Pension Scheme Booklet by Government.

(6) A switchover of pension payment from one channel to another within India shall be permissible in the manner prescribed by the Government.

30. Payment of pension claims.—(1) In so far as civil Ministries or Departments concerned, pensioners are not required to visit Pension Disbursing bank branch in person for credit of his or her first pension provided the requisite undertaking with regard to recovery of overpayment from pensioner shall be forwarded to the concerned bank through CPAO along with Pension Payment Order.

(2) The provisional pension shall be preferred by the Head of Office in which the Government servant was employed immediately before retirement in the same manner in which pay and allowances are disbursed by him.

Note: Pensioners of defence services shall present their claims in special forms as specified by the departmental regulations.

(3) A pensioner specially exempted by the orders of competent authority from personal appearance, a female pensioner not accustomed to appear in public, or a pensioner who is unable to appear due to bodily illness or infirmity, may receive pension upon the production of a life certificate signed by a responsible Government officer or by some other well-known and trustworthy person as specified by the Government.

(4) A pensioner or family pensioner may provide Digital Life Certificate online through Aadhaar based biometric authentication system (Jeevan Praman).

(5) The additional quantum of pension or family pension shall be payable as specified in other Pension Rules or Acts and Pension Disbursing Authorities (PDAs) may not insist for any request or application from pensioners or family pensioners in order to pay additional pension to them.

(6) A pensioner not resident in India may draw his pension in India through an authorised bank.

(7) When a pensioner is a minor or is for any reason incapable of managing his own affairs and has no regularly appointed manager or guardian, the District Magistrate or District Commissioner may, on an application made by or on behalf of the pensioner, and subject to such conditions as he may impose, declare any suitable person to be the manager or guardian for the purpose of receiving, on behalf of the pensioner, the pension due to him and payments of pension may be made to such manager or guardian in the same way as to pensioner himself, provided that sufficient proofs are forthcoming at the time of each payment of the pensioner being alive and eligible to receive the pension for the period covered by the payment.

(8) Such declaration may at any time be revoked or altered at the discretion of the District Magistrate or District Commissioner.

(9) The powers of the District Magistrate or District Commissioner in regard to payment of the arrears will be exercised by the Chief Controller or Controller of Accounts of the Ministry or Department who acts as Head of the accounting organisation, in case where the pensions are paid by a PAO of the Ministry or Department or Union territory Administration with separate accounts organisation.

(10) The payment of pensions in rupees authorised by foreign Governments for payment in India shall be regulated by such general or special instructions as may be issued by the Government in this behalf.

31. Payment of commuted value of pension.— The payment of the commuted value of a portion of a pension can be made upon the authority issued by the PAO concerned only to the person legally entitled to receive it.

32. Payment of Gratuity.— (1) Except as hereinafter provided, gratuity shall not be paid except on an authority received from the PAO to whom the sanction is communicated by the sanctioning authority.

(2) It shall be made in the same manner as provided in rules relating to Provident Funds.

(3) Provisional gratuity sanctioned by a competent authority in respect of a retired Government servant shall be drawn separately for each gratuitant by the Head of the office in which he last served.

(4) The provisions of sub-rule (1) shall apply mutatis mutandis to the drawal and disbursement of provisional death-cum-retirement gratuity payable to family of a Government servant who died while in service.

33. Undrawn pension and arrears.— (1) Unless the Government by general or special orders direct otherwise, a pension remaining undrawn for more than a year, shall cease to be payable.

(2) If the pensioner afterwards appears or a claim is presented on his behalf, the payment of monthly pension accruing thereafter may be resumed, but the arrears shall be paid as per the procedure prescribed by the Controller General of Accounts.

(3) A gratuity payment order shall remain in force for one year only.

34. Death of pensioner.— Subject to any rule or order made by the Government in this behalf, the payment of arrears of pension due in respect of a deceased pensioner shall be regulated by the following conditions, namely:-

- a) pension shall be drawn for the day of pensioner's death, the hour at which death takes place has no effect on the claim;
- b) on the death of a pensioner, payment of any arrears actually due shall be made to the heirs of the pensioner.

35. Submission of life certificate and other certificates.—(1) The pensioner or family pensioner shall be required to furnish life certificate each year in the format prescribed by the Government.

(2) The pensioner or family pensioner may submit the life certificate as well as other certificates to any branch of the bank through which his or her pension or family pension is being disbursed.

- (3) A life certificate issued online by a Government agency (Jeevan Praman) as a result of Aadhaar Biometric Authentication shall also be accepted as a valid certificate.
- (4) A pensioner who produces a life certificate signed by any person prescribed by the Government is exempted from personal appearance.
- (5) Retired Central Government, Group 'A' officers are required to furnish a declaration in the form prescribed regarding acceptance and non-acceptance of commercial employment within one year from the date of retirement and also about acceptance or non-acceptance of any employment under any Government outside India.
- (6) Pensioner shall be required to furnish a non-employment certificate once in a year.
- (7) Pensioner or family pensioner shall be required to furnish marriage or re-marriage certificate, non-earning certificate, disability certificate, as the case may be.
- (8) The detailed procedure to be observed by the pensioner or family pensioner for furnishing various certificates shall be as specified in the Subsidiary Instructions.

Note: The pension including dearness relief for November onwards may not be credited by the bank in case the pensioner fails to submit requisite certificate except non-employment certificate or employment or re-employment certificate on due date.

36. Revision of pension.— In cases where the amount of pension payable is revised for some reason, payment at the revised rate, including arrears, if any, may be paid in the manner specified by the Controller General of Accounts and Department of Pensions and Pensioners' Welfare.

37. Family pension.— The family pension shall be disbursed by pension disbursing authorities as per the procedure or orders issued by CGA or Department of Pension and Pensioner's Welfare from time to time.

38. Defence pensions.—(1) Subject to such general or special orders as Government may issue in this behalf, the procedure to be observed by Pension Disbursing Officer in making payments to Defence pensioners may be specified by departmental regulations.

(2) Special care shall be taken in identifying Defence pensioners claiming single payments.

(3) The mere production of a letter purporting to have been issued by an officer of Controller General of Defence Accounts shall not be considered sufficient for this purpose.

39. Departmental treasure chests.—The officers in charge of Military Treasure Chests and such offices of the Department of Posts as are authorised to perform all or any prescribed part of the duties of a Treasury Officer in respect of custody of the cash balance, and claims against the Government that may be presented to them for disbursement; and also in respect of moneys that may be tendered to them for credit to the Government Account, shall have to observe the provisions of these rules.

40. Adjustment of transactions with State Government.— No transactions of the Government with a State Government shall be adjusted against the balance of the Government except in accordance with such directions as may be given by the Controller General of Accounts on the advice of the Comptroller and Auditor General of India to regulate the procedure for the accounting of such transactions.

41. Rounding off.— The fraction of a rupee in paise in Government transactions shall be rounded off to the nearest rupee or as per the instructions issued by the Government.

42. Overcharges.— Subject to such special orders as the Government may issue in any case, the responsibility for an overcharge shall rest primarily with the drawer of a bill and it is only in the event of culpable negligence on the part of the controlling officer or of the PAO that the question of recovery from either of them may be considered.

43. Audit objections and recoveries.— (1) Every Government servant must attend promptly to all objections and orders communicated to him by the PAO, Internal Audit Officer and Assistant Audit Officer or Senior Audit Officer.

Explanation.—For the purposes of this rule,

(i) "Internal Audit Officer" means any officer subordinate to, or under superintendence of the Head of Accounting Organisation;

(ii) “Assistant Audit Officer or Senior Audit Officer” means any officer subordinate to, or under the superintendence of the Comptroller and Auditor-General.

(2) When a PAO disallows a payment as unauthorised, the disbursing officer is bound not only to recover the amount disallowed but to refuse to pay it in future till the PAO authorises the payment to be resumed.

Note: If a Government servant from whom a recovery is ordered is transferred to the jurisdiction of another disbursing officer, the orders of recovery shall be passed on to that disbursing officer without delay.

(3) Recoveries may not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of pay unless the Government servant affected has, in receiving the excess, acted contrary to orders or without due justification or taken an advance for specific purpose and not utilised it for the purpose within the prescribed period and failed to refund the outstanding amount within the stipulated date.

44. Authority competent to frame departmental regulations.— (1) Where, under the provisions of these rules, detailed procedure with respect to any matter is required to be prescribed or regulated by departmental regulations, such regulations relating to particular Departments shall be made by that Ministry or Department in consultation with Ministry of Finance through Controller General of Accounts.

(2) Nothing contained in this rule shall affect the validity of any order, instruction or direction contained in any authorised departmental regulations except in so far as such order, instruction or direction is inconsistent with or repugnant to any distinct provision contained in these rules.

45. Power to relax.— The Government may, subject to such restrictions and conditions, if any, as it may think fit to impose, dispense with or relax the provisions of any of these rules.

[F. No. TA-2-03002(01)/1/2020-TA-II (E-2106)]

NALIN KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Controller General of Accounts